''धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान''
(DA-JGUA) के दिशा–निर्देशों के अनुरुप
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन पर एक दिवसीय परामर्श कार्यशाला
दिनांक– 06.01.2025

आयोजक

आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग

सहयोगी संस्थान

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

फाऊंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (FES) एवं
अशोका ट्रस्ट फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट (ATREE)

तकनीकी सहयोग

यूनाईटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP)

स्थानः न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाईन्स, रायपुर (छत्तीसगढ़)

TRTI
FES
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA)
के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वन अधिकार अधिनियम
2006 के क्रियान्वयन पर शासकीय, अशासकीय एवं

क्रम–सूची

क.	विषय	पृष्ठ
1	कार्यकारी सारांश	6
2	प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि.,पि.व.एवं अल्प.वि.वि का उद्बोधन	10
3	पृष्ठभूमि	12
4	कार्यशाला का उद्देश्य	13
5	चर्चा एवं निष्कर्ष	14
	• तकनीकी सत्र 1	14
	• तकनीकी सत्र 2	18
	• तकनीकी सत्र 3	21
6	चुनौतियां, अवसर एवं सुझाव	26
7	भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां	35
	(क) शासकीय संस्था	35
	• आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग	35
	• वन विभाग	36
	• राजस्व विभाग	36
	• पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	37
	(ख) संस्थागत एजेंसियां	37
	• राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति	37
	• जिला स्तरीय समिति	38
	• अनुभाग स्तरीय समिति	38
	• ग्रामसभा	39
	• एफआरए सेल	39
	➢ राज्य स्तरीय एफआरए सेल	39
	➢ जिला स्तरीय एफआरए सेल	39
	(ग) गैर शासकीय संस्था	40
8	कार्यशाला के प्रतिभागियों की सूची	41
9	मीडिया कवरेज	43

कार्यशाला की कुछ झलकियां

1. कार्यकारी सारांश

छत्तीसगढ़ राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन का वर्ष 2008 से किया जा रहा है। राज्य सरकार इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशो, सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों का अनुसरण करते हुए राज्य एवं जिले स्तर पर सभी आवश्यक कार्यवाही के साथ स्थानीय सामाजिक संगठनो के मैदानी स्तर के अनुभवों एवं नवाचारों को भी समाहित किये जा रहे है। फलस्वरुप आज की स्थिति में राज्य में क्रमशः 479502 व्यक्तिगत वन अधिकार, 48175 सामुदायिक वन अधिकार एवं 4377 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किये जा चुके है। साथ ही इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि सीमांकन, फौत नामांतरण, हस्तांतरण विभिन्न विभागों की योजनाओं का अभिसरण, सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों के माध्यम से प्रबंधन कार्य योजनाएं, पर्यावास अधिकार इत्यादि पर भी अच्छी प्रगति हुई है, जिससे देश में वन अधिकार के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य एक अग्रणी राज्य के रुप में है।

हालांकि अभी भी अनेक चुनौतियां है, जिस पर ध्यान केन्द्रित कर सभी हितधारको के परस्पर समन्वय व सहयोग के साथ इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। विदित हो कि केन्द्र और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा वन अधिकार को फ्लैगशीप प्रोग्राम घोषित किये जाने के बावजूद इसके क्रियान्वयन हेतु आज पर्यन्त कोई समर्पित बजटीय प्रावधान नहीं किये गये है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सीमित संसाधनों से अब तक कार्य पूर्ति की जा रही थी। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 02 अक्टूबर, 2024 से प्रारंभ किया गया धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के अंतर्गत चार घटको में वन अधिकारो का क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण घटक है एवं इसके संतृप्तिकरण पश्चात दावापश्च सहायता हेतु लक्षित विकास कार्यो के लिए राशि उपलब्ध किये जाने का प्रावधान है।

इस संदर्भ में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के तहत वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) से संबंधित दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन पर एक दिवसीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन 6 जनवरी 2024 को नया सर्किट हाउस, रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा किया गया, जिसमें आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (TRTI), फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (FES), अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट (ATREE) ने सहयोगी संस्थाओं की भूमिका निभाई और यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) द्वारा इस कार्यशाला के आयोजन में तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य DA-JGUA के तहत FRA के बेहतर क्रियान्वयन हेतु निर्दिष्ट लक्ष्यों के लिए अवसरों और चुनौतियों को समझना, वन अधिकारों की मान्यता प्रक्रिया को पूरा करने, वन अधिकार पत्रधारकों की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने और समुदाय–आधारित वन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु कुछ ठोस निष्कर्ष पर पहुचना था ।

इस कार्यशाला में अशासकीय एवं सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधि, राज्य के वन विभाग, पंचायत विभाग, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी के अधिकारी, जिला अंतर्गत आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त तथा जिलों में कार्यरत FRA समन्वयकों ने भाग लिया।

कार्यशाला में उपस्थित श्री सोनमणि बोरा (IAS), प्रमुख सचिव, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, श्री सुनील कुमार मिश्रा (IFS), अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, श्री नवेद शुजाउद्दीन (IFS), मुख्य वन संरक्षक, श्री पदुम सिंह एल्मा (IAS), आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास ने प्रतिभागियों की चिंताओं और सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और उनका समाधान प्रस्तुत किया। यह आयोजन जमीनी स्तर के संगठनों के साथ आदिम जाति विकास विभाग की एक नई पहल का प्रतीक था, जिसने क्षेत्रीय स्तर पर FRA क्रियान्वयन में सामने आने वाली चुनौतियों, उनके समाधान और सामाजिक संगठनों, ग्राम सभाओं एवं संबंधित सरकारी विभागों के मध्य समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता को उजागर किया।

कार्यशाला की शुरुआत श्री संजय गौड़, अपर संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा अपने स्वागत भाषण से किया गया, जिसमें वे सिविल सोसायटी संगठनो एवं शासकीय विभागों की भूमिका पर स्पष्टता की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कार्यशाला का एजेण्डा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात विभाग अंतर्गत एफआरए सेल से श्री विभोर देव ने DA-JGUA अंतर्गत वन अधिकार से संबंधित घटकों का संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण कर इसके संदर्भ में अभियान का महत्व एवं इसमें निहित अवसरों से प्रतिभागियों का उन्मुखीकरण किया।

उद्घाटन सत्र के पश्चात तकनीकी सत्रों का संचालन किया गया, जो DA-JGUA के परिप्रेक्ष्य में वन अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित था और यह सत्र सामाजिक संगठनों तथा संबंधित शासकीय विभागों के अधिकारिगणो से गठित पैनल के सदस्यों द्वारा चर्चा एवं चर्चा उपरान्त प्रतिभागियों के साथ संवाद के द्वारा संपन्न किया गया। तीनो सत्रों की रुपरेखा निम्नानुसार है :–

पहला सत्र जो, DA-JGUA के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं की तैयारी तथा वन विभाग के कार्ययोजनाओं के साथ एकीकरण एवं वित्तीय सहायता प्रक्रिया से संबंधित था, को ATREE संस्था के श्री शरदचंद्र लेले द्वारा संचालित की गई, जिसमें वे इस विषय पर एक सामान्य टेम्पलेट साझा करते हुए संबंधित विभागो के दृष्टिकोण तथा नीतिगत निर्णयों पर बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया।

स्थानीय सामाजिक संगठनो (नवोदित समाज सेवी संस्था, खोज एवं जनजागृति समिति, नव निर्माण चेतना मंच) द्वारा ग्राम स्तर के अनुभवो को साझा किया गया, जिसमें सामुदायिक वन प्रबंधन कार्ययोजना की तैयारी एवं क्रियान्वयन स्वयं समुदाय के लोगो द्वारा इन कार्यो में महिलाओं की बराबर भागीदारी, पारंपरिक सीमा का नक्शा पारंपरिक स्थानो के नाम के आधार पर रखते हुए ग्राम सभा केन्द्र के माध्यम से लोगो को जागरुक करना, ग्राम सभा व सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति एवं संबंधित विभागो के मध्य बेहतर समन्वय इत्यादि जैसे मुख्य बातो को उजागर किया गया। शासकीय संस्थाओं के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से श्री नवेद शुजाउद्दीन, मुख्य वन संरक्षक, वन प्रबंधन

के मामले में आए बदलाव, जो पहले वन विभाग और समुदाय की संयुक्त समिति (JFMC) द्वारा की जाती थी, को अब ग्राम सभा के CFRMC को दी जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में वन प्रबंधन व योजना निर्माण के कई पहलूओं में अस्पष्टता को दूर करने की आवश्यकता की प्राथमिकता को महत्वपूर्ण बताया।

द्वितीय सत्र सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन एवं व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारको को विकासमूलक सुविधा प्रदान करने हेतु अभिसरण की चुनौतियों व अवसरो को चिन्हांकित करने पर था। सत्र को FES संस्था से सुश्री मंजीत कौर बल द्वारा संचालित किया गया। इस सत्र के मुख्य बिन्दु संबंधित विषय पर महिलाओं की निर्णायक भागीदारी, समुदायों को वन्य जीवो के पारिस्थितिकीय महत्व को समझाने और उनके संरक्षण में उनकी भूमिका को मजबूत करना, मैदानी स्तर के संगठनो की सक्रिय भागीदारी एवं संबंधित विभागो के बेहतर समन्वय के साथ संयुक्त पत्र के माध्यम से अभिसरण प्रक्रिया को सरल बनाना इत्यादि थे।

तृतीय सत्र में वन अधिकार से संबंधित अभिलेखो तथा दस्तावेजो को डिजिटलाईज कर क्रियान्वयन की प्रक्रिया में बेहतर प्रगति व मूल्यांकन हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से सुधार करने जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई। विभाग अंतर्गत एफआरए सेल की ओर से चिप्स द्वारा विकसित cgvanadhikar portal (https://cgvandhikar.cgstate.gov.in), जिसमें लीगेसी डाटा का डिजिटलाईजेशन तथा यू.एन.डी.पी. द्वारा विकसित hamarvanadhikar portal (http://hamarvanadhikar.cgstate.gov.in), जिसमें ऑनलाईन प्रक्रिया व रिर्पोटिंग फार्मेट्स की सुविधा है, को प्रस्तुत किया गया और इन दोनो पोर्टल के इंटिग्रेशन से डेटा आधारित रिर्पोटिंग द्वारा बेहतर मॉनिटरिंग, ट्रेकिंग एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्ययोजना के निर्माण जैसी विशेषताओं को साझा किया गया।

तकनीकी सत्रो में प्रतिभागियों एवं पैनल सदस्यों के मध्य विभिन्न मुद्दो पर की गई चर्चानुसार वन अधिकारो को सफलतापूर्वक संतृप्त करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण चुनौतियों और समाधान हेतु सुझावो को प्रस्तुत किया गया। मुख्य चुनौतियों में अधिनियम के प्रति हितधारको में जागरुकता की कमी, विभागीय अधिकारियो एवं ग्राम सभा तथा समुदायो के मध्य सहयोग का अभाव, ग्राम सभाओ के सामुदायिक वन संसाधन/लघुवनोपज के स्वामित्व से संबंधित अधिकारो का उल्लंघन, अभिसरण हेतु योजनाओ के पूर्ण ज्ञान की कमी इत्यादि तथा मुख्य सुझाव में हर स्तर पर प्रशिक्षण के माध्यम से जागरुकता अभियान की आवश्यकता, संबंधित विभागो के मध्य सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन एवं अभिसरण हेतु समन्वय, JFMC समिति को भंग कर सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति को पूर्णतः जवाबदेही बनाना, डिजिटल टूल्स के माध्यम से हितग्राहियों के मान्यता प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करना इत्यादि जैसे मुख्य बातें उद्घृत हुई।

कार्यशाला के अंतिम पड़ाव में श्री संजय गौड़, अपर संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए वन अधिकार के सफल क्रियान्वयन हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया DA-JGUA अभियान को एक महत्वपूर्ण पहल बताया गया और इस अभियान के उन्मूखीकरण हेतु आयोजित

कार्यशाला को इस दिशा में किये जा रहे प्रयासो की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के लिए एक परस्पर लाभकारी मंच प्रदान करने की बात कही, जिससे नीतिगत निर्णय व मैदानी स्तर की चुनौतियों के मध्य विसंगतियों को बेहतर तरीके से दूर करने के प्रयास सफलतापूर्वक किये जा सकेंगे।

भविष्य में ऐसी और कार्यशालाओं का आयोजन करने का आश्वासन देते हुए वह इस कथन के साथ कार्यशाला का समापन किया कि शासन और मैदानी स्तर पर जुड़े सामाजिक संगठन के परस्पर समन्वय और सहयोग से ही चुनौतियों का सटीक समाधान निकाला जा सकेगा, जिससे वन अधिकार धारको के विकास में गुणात्मक बदलाव लाने में सहयोग प्राप्त होगा।

------------------------xxx--------------------------

2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग का उद्बोधन

प्रमुख सचिव, श्री सोनमणि बोरा द्वारा संबोधन

प्रमुख सचिव ने कार्यशाला के उद्घाटन पश्चात अपने उदबोधन में कहा कि यह कार्यशाला वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है, जिससे न केवल FRA के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में मैदानी स्तर पर आ रही समस्याओं को समझना और उनका सही समाधान निकाल कर वन अधिकार मान्यता प्रक्रिया को संतृप्त करना है, बल्कि इसके गुणात्मक पहलुओं, जैसे सीमांकन, प्रबंधन, और ग्राम सभाओं की भागीदारी जैसे अन्य पहलुओं पर भी प्राथमिकता से काम किए जाने पर ध्यान दिया जाना है।

उनके द्वारा राज्य में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी साझा करते हुए इस बात पर बल दिया गया कि वन अधिकारों को मान्य किये जाने पश्चात अब वन प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभाओं को सौंपा गया है, जो पहले वन विभाग अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति (JFMC) के पास था। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव की प्रक्रिया है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक समन्वय और संसाधनों का सही उपयोग आवश्यक है।

''धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान'' (DA-JGUA) से अवगत कराते हुए उन्होने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया यह अभियान 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से राज्य के आदिवासी समुदायों को मूलभूत सुविधाओं से लाभान्वित कर उनके सर्वांगीण विकास हेतु सहयोग प्रदान करना है, जिसमें पानी, पक्के मकान, सड़क, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं। DA-JGUA अभियान के तहत आदिवासी समुदायों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमे डिजिटल तकनीकियों के माध्यम से वन अधिकारों की संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन फॉर्मेट में संधारित करने, ऑनलाइन दावा दाखिल करने के साथ जियो–रेफरेंसिंग, जियो–टैगिंग जैसे अन्य तकनीकी सुविधा को विकसित करने जैसे प्रयास शामिल है, जिसके फलस्वरुप वन अधिकारों की मान्यता प्रक्रिया का संतृप्तिकरण, वन संसाधनों के प्रबंधन, विभिन्न विभागों के योजनाओं का अभिसरण, सीमांकन, नामांतरण इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों को सुव्यवस्थित तरीके से सम्पन्न करने में मदद मिलेगी और साथ

ही अन्य महतवपूर्ण विषयों जैसे कि आंतरिक विस्थापन, वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन आदि पर ध्यान केन्द्रित कर इन कार्यों को धरातल पर उतारा जा सकेगा।

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) के दावों की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु एक समयसीमा निर्धारित किये जाने एवं कैलेंडर बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए स्थानीय संस्थाओं के अनुभवो के आधार पर सामुदायिक प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने यह भी बताया कि वन अधिकार अधिनियम और पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव है, जो इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगा।

--------------------XXX------------------

3. पृष्ठभूमि

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 02 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA–JGUA) का शुभारंभ किया गया। अभियान अंतर्गत 17 मंत्रालयों के सहयोग से भारत सरकार की 25 योजनाओं को सुसंगत तरीके से धरातल पर उतारना है, जिसमें वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निश्चित समयावधि में वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना तथा विभिन्न मंत्रालयों के योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से वननिवासी जनजातीय परिवारों के सतत् आजीविका की सुरक्षा, पारिस्थितिकीय संतुलन हेतु वनों की सुरक्षा, संवर्धन, संरक्षण एवं प्रबंधन इत्यादि जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति शामिल है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन में हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य में अब तक 479502 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं सामुदायिक वन संसाधन के अंतर्गत 4377 वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य ग्रामसभाओं में सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन हेतु सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति के गठन की कार्यवाही की जा रही है एवं अब तक 2081 सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन किया जा चुका है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 अंतर्गत अधिकारों की मान्यता, वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण, अभिसरण से आजीविका संवर्धन आदि कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु संबंधित शासकीय विभागों तथा अशासकीय संस्थानों की सतत् भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।

इस अभियान के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित कार्यो के बेहतर क्रियान्वयन हेतु अशासकीय संस्थाओं के मध्य उक्त विषयों पर परिचर्चा हेतु विभाग द्वारा Fooundation for Ecological Security (FES), United Nations Development Programme (UNDP) एवं Ashoka Trust for Ecology & Environment (ATREE) संस्था के सहयोग सें दिनांक 06.01.2025 को एक दिवसीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य DA–JGUA के अनुसार वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अवसरों और चुनौतियों को समझना और अधिकारों की मान्यता को पूरा करने, वन अधिकार धारकों की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने और राज्य में समुदाय आधारित वन प्रशासन को मजबूत करने के लिए कार्यवाई योग्य कदमों की पहचान करना था।

यह कार्यक्रम जमीनी स्तर के संगठनों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की एक अनूठी पहल है, जिसमें हितधारकों के बीच मूल्यवान चर्चा, रचनात्मक समन्वय, वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में विभिन्न क्षेत्र स्तरीय चुनौतियों को सामने लाना एवं पहचान की गई चुनौतियों को कम करने के लिए बेहतर सुझाव इत्यादि शामिल है।

--------------------xxx-----------------

4. कार्यशाला का उद्देश्य

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA–JGUA) के दिशा–निर्देशों के अनुरुप वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन पर एक दिवसीय परामर्श कार्यशाला दिनांक 06.01.2025 को नया सर्किट हाउस, सिविल लाईन्स, रायपुर में आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा आयोजित की गई, जिसमें आदिम जाति अनुसंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (TRTI), फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (FES) एवं अशोका ट्रस्ट फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट (ATREE) ने सहयोगी संस्था के रुप में तथा यू.एन.डी.पी. द्वारा तकनीकी सहयोग के रुप में योगदान दिया गया।

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित DA–JGUA अभियान के अंतर्गत चार घटको में से एक महत्वपूर्ण घटक जो वन अधिकार के क्रियान्वयन से संबंधित है, का प्रभावी रुप से क्रियान्वयन करना तत्पश्चात दावापश्च सहायता के माध्यम से वनवासी समुदायों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसमें सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्यबिन्दु है। इस हेतु सभी हितधारको को एक मंच प्रदान करते हुए वन अधिकार के सभी महत्वपूर्ण पहलूओं पर चर्चा कर एक सुनियोजित कार्ययोजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यो को प्राप्त करना है। कार्यशाला में चर्चा के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार रहे :–

1. वन अधिकारों का डिजिटलाईजेशन एवं ऑनलाईन प्रक्रियाकरण।
2. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रगति तथा एफआरए सेल की भूमिका।
3. सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन व्यवस्था का क्रियान्वयन तथा स्टेकहोल्डर्स की भूमिका।
4. वन अधिकार पत्र धारकों का अभिसरण के माध्यम से आजीविका सुदृढ़ीकरण।

--------------------xxx------------------

5. चर्चा एवं निष्कर्ष

तकनीकी सत्र 1

प्रथम तकनीकी सत्र, सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं की तैयारी तथा वन विभाग के कार्ययोजना के साथ एकीकरण एवं वित्तीय सहायता प्रक्रियाओं की समझ विकसित कर ग्राम सभाओं तथा अन्य हितधारको का क्षमता विकास के उद्देश्य पर था। चूंकि DA–JGUA अभियान अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन हेतु संबंधित विभागो तथा ग्राम सभाओं के साथ स्थानीय सामाजिक संगठनो/अशासकीय संस्थाओं के सहयोग पर भी बल दिया गया है, इसलिए इस सत्र में स्थानीय सामाजिक संगठनो/अशासकीय संस्थाओ के स्थानीय स्तर पर वन प्रबंधन के क्षेत्र पर किये गये/किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए इस कार्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और अभियान अंतर्गत उनकी जिम्मेदारियों पर चिंतन किया गया है।

ATREE संस्था के श्री शरदचंद्र लेले द्वारा इस सत्र का संबोधन एवं संचालन किया गया। इस सत्र में नवोदित समाज सेवी संस्था के श्री तुलसी नेताम, खोज एवं जनजागृति समिति के श्री बेनिपुरी गोस्वामी, नवनिर्माण चेतना मंच के सुश्री रीना रामटेके द्वारा इस विषय वस्तु के संदर्भ में मैदानी स्तर के अनुभवों का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिससे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन से संबंधित कई नवाचारो को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही इनसे जुड़ी चुनौतियों, अवसरों व सुझावों को भी उगाजर किया, जो मुख्यतः संबंधित विभागों के समन्वय व सहयोग की कमी पर केन्द्रित था।

चूंकि अधिकांश चुनौतियां वन विभाग के सहयोग से संबंधित था, इसलिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य वन संरक्षक श्री नवेद सुजाउद्दीन द्वारा प्रतिउत्तर के साथ विभाग स्तर पर नीतिगत विचारों व किये जा रहे कार्यो की जानकारी प्रदान की गई। सत्र के सभी प्रस्तुतकर्ताओं की मुख्य विचारों को संक्षिप्त में निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है :–

डॉ. शरदचंद्र लेले ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) मान्य किए जाने पश्चात सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना (CFRMP) बनाने हेतु एक ढांचा (सामान्य टेम्पलेट) यथाशीघ्र तैयार किए जाने की बात कही जो स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जा सके और इस प्रस्तावित ढांचे के अनुरूप ग्राम सभाएँ अपनी योजनाएँ स्वतः विकसित कर सकें। चूँकि सभी गाँवों में गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) की पहुँच मुश्किल है, इसलिए एक मानक ढांचे से ग्राम

सभाओं को अपनी कार्ययोजनाएँ तैयार करने में सहूलियत होगी। वे CFR प्रबंधन योजना के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को समझाते हुए बताया कि प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, जबकि योजना तात्कालिक होती है। इसलिए इस प्रक्रिया में ग्राम सभा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉ. लेले ने वन विभाग की संरचना और मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि CFR प्रबंधन योजना की स्वामित्व ग्राम सभाओं के पास होना चाहिए, न कि इसे केवल गैर–सरकारी संगठनों या सरकार द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। DA-JGUA इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है अतः इस अभियान के माध्यम से पूरे वन प्रशासन में संरचनात्मक बदलाव लाकर CFR प्रबंधन हेतु ग्राम सभाओं को उनकी वास्तविक भूमिका दिये जाने के साथ उनका क्षमता विकास किया जाना आवश्यक है।

श्री तुलसी नेताम ने अपने संबोधन में कोंडागांव के बुनागांव ग्राम का उदाहरण प्रस्तुत किया,जहाँ ग्राम सभा ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) प्राप्त करने के बाद पारंपरिक व्यवस्थाओं के माध्यम से वनों की सुरक्षा, संरक्षण और पुनरुत्पादन को सफलतापूर्वक लागू किया है। CFRR प्राप्त करने से पहले, गाँव को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा पर 2016 में ग्राम सभा को सामुदायिक वन अधिकार मिलने के बाद यह गाँव बदलाव की ओर अग्रसर हुआ। ग्रामवासियों ने वनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए पर्यावरणीय क्षति को पलटने और अपने पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। वन संसाधनों के सतत उपयोग एवं निगरानी के लिए स्पष्ट नियम, वनों की निगरानी के लिए ठेन्गापल्ली प्रथा का पुनरुद्धार और इन सरे प्रयासों में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावी बनाना जैसे महत्वपूर्ण प्रयासों से सामुदायिक नेतृत्व वन संरक्षण का एक आदर्श उदाहरण बन पाया। इसकी सफलता यह दर्शाती है कि स्थानीय शासन, पारंपरिक प्रथाओं और महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका से पर्यावरणीय संरक्षण बेहतर ढंग से किया जा सकता है।

श्री बेनिपुरी गोस्वामी द्वारा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राजस्व भूमि और वन भूमि के लिए अलग–अलग योजनाएँ होती हैं और वन प्रबंधन की कार्ययोजना बनाने हेतु इन दोनों के अंतर को समझना आवश्यक है अपने अनुभवों के साझा करते हुए उन्होंने बताया की वन प्रबंधन के लिए ग्राम सभाएँ पहले अपनी पारंपरिक सीमाओं का नक्शा पारंपरिक स्थानों के नामों के

आधार पर तैयार कर वन संसाधनों के सभी उपयोगों को दर्शाते हुए इससे संदर्भित नियमों की सूचि तैयार करे इन नियमों का पालन करते हुए वन संसाधन का प्रबंधन करने से न केवल वनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी, बल्कि आजीविका को भी संतुलित रूप से बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके लिए एक ग्राम सभा केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए और उसके दीवारों पर नक्शे, नियम और जिम्मेदारियों को चित्रित किया जाना चाहिए, जिससे सामुदायिक शासन को सुगम बनाया जा सके। सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन अंतर्गत JFM एवं MGNREGA के संयुक्त वित्तीय सहायता से स्टॉप डैम का निर्माण तथा MGNREGA गतिविधियों को वन उपज संग्रहण के वार्षिक कैलेंडर के साथ जोड़ना जैसे उपलब्धियों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ग्रामसभा ने किस तरह से सामुदायिक सशक्तिकरण, पर्यावरणीय संरक्षण और सतत् विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शित किया।

सुश्री रीना रामटेके द्वारा झिरनापौड़ी गांव की कहानी साझा करते हुए सामुदायिक जागरूकता और सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमे उन्होंने बताया कि किस प्रकार से गाँव के युवाओं ने ''झिरनापौड़ी युवा संगठन" के नाम से समिति बनाकर गांव के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूक किया और CFRR दावा के अंतर्गत 652 हेक्टेयर वन भूमि पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार स्वीकृत करवाया। CFR प्रबंधन समिति के गठन पश्चात CFR क्षेत्र का संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन अब ग्राम सभा के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे आजीविका के साथ साथ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने की दिशा में सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहे है।

उन्होंने वन एवं अन्य सम्बंधित विभागों द्वारा इस विषय पर आवश्यक सहयोग की कमी को उजागर करते हुए इन विभागों का जमीनी स्तर पर पूर्ण सहयोग और सक्रिय भागीदारी की जरुरत पर प्रकाश डाला और ग्राम सभा तथा CFR प्रबंधन समिति को आवश्यक मार्गदर्शन व तकनीकी सहयोग प्रदाय किये जाने पर जोर दिया

श्री नवेद शुजाउद्दीन, मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि राष्ट्रीय वन समिति ने जन भागीदारी पर जोर दिया था। इसी नीति के तहत जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी (JFMC) का गठन किया गया। वर्तमान में राज्य में 7800 JFMC कार्यरत हैं, जो सामूहिक वन प्रबंधन में वन विभाग को सहयोग प्रदान कर रही हैं। हालांकि, वन अधिकार अधिनियम (FRA) के बाद वन प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसमें ग्राम सभाओं को अधिकार दिए जा रहे हैं। इस बदलाव में विभाग की भूमिका क्या होगी, इसे

स्पष्ट करने की आवश्यकता है। वन प्रबंधन और योजना निर्माण में कई पहलुओं पर अब भी स्पष्टता का अभाव है, जिस पर शासन स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्राम सभाओं द्वारा बनाए जा रहे कार्ययोजनाओं की गुणवत्ता और वैज्ञानिक आधार को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य में गलत योजनाओं के दुष्प्रभाव सामने आ सकते हैं। यह भी आवश्यक है कि ग्राम सभा और विभागीय स्तर पर बनाए गए योजनाओं को कैसे समन्वित (इंटीग्रेट) किया जाए, इस पर भी स्पष्ट दिशानिर्देश की आवश्यकता है।

--------------------xxx------------------

तकनीकी सत्र 2

द्वितीय तकनीकी सत्र, सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन व व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारको को विकासमूलक सुविधा प्रदान करने में DA-JGUA के अंतर्गत अभिसरण के चुनौतियों व अवसरों को चिन्हांकित कर उसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु किये जाने वाले प्रयासो पर केन्द्रित था। इस सत्र का संबोधन व संचालन फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (FES) के सुश्री मंजित कौर बल द्वारा किया गया। सत्र में अशासकीय संस्थाओं से सुश्री राजिम केतवास (सगज समाज सेवी संस्था), श्री तपस दास (वर्ल्डवाईड वाईल्डलाईफ फण्ड) एवं सुश्री पायल बनकर (प्रदान) एवं शासकीय विभाग के श्री विनय गुप्ता द्वारा उक्त विषय पर चर्चा की गई। चर्चा में वन अधिकार धारकों के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण की महत्वता, अवसरों, चुनौतियों तथा इसे दूर करने के सुझावो पर प्रकाश डाला गया। इस सत्र में दिये गये प्रस्तुतीकरण की संक्षेपिका निम्नानुसार है :—

सुश्री राजिम केतवास ने वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में बताया कि जहां भी जागरूक संस्थाओं ने ग्राम स्तर पर समुदायों के साथ कार्य किया। वहां वन अधिकारों का क्रियान्वयन सही रूप से हो पाया है पर शासन स्तर पर इसका पर्याप्त प्रचार—प्रसार नहीं होने के कारण इसके क्रियान्वयन की गति बहुत धीमी है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत महिलाओं के सहभागिता पर बल देते हुए क्रियान्वयन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी ज्यादातर सदस्य के रूप में देखी गई है, न कि निर्णायक भूमिका में जैसे महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर करते हुए वन अधिकार अंतर्गत जमीन का मालिकाना हक में महिलाओं की प्राथमिकता विशेष रूप से हो पर जोर दिया गया, जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता और पुरुषप्रधान समाज में सम्मान के साथ जीने का आधार प्राप्त हो सके। उन्होने यह भी बताया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत महिलाओं, खासकर एकल महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान लागू किए जाने चाहिए और सभी समितियों में महिलाओं को निर्णायक भूमिका दी जानी चाहिए और इसे सफल बनाने के लिए वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों और महिलाओं के अधिकारों के प्रति शाशन और अशासकीय संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

श्री तापस दास द्वारा बताया गया कि DA-JGUA के अंतर्गत अभिसरण एक आवश्यक कार्य बिन्दु है, जो सतत विकास, वन संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने जैसे लक्ष्य पर आधारित है। इसके अंतर्गत प्रमुख चुनौतियों में नीतियों और प्रक्रियाओं की अस्पष्टता, समुदाय और प्रशासन के बीच विश्वास की कमी, पारंपरिक ज्ञान की उपेक्षा, ग्राम सभाओं और स्थानीय संस्थानों की

सीमित क्षमताएं, वित्तीय और तकनीकी सहायता का अभाव, और मानव–वन्यजीव संघर्ष इत्यादि शामिल हैं।

मानव–वन्यजीव सह–अस्तित्व को सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो इस मॉडल की सफलता के लिए अनिवार्य है। इसके लिए ग्राम सभाओं और समुदायों को वन्यजीवों से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और जोखिम कम करने के उपाय सुझाए जाने चाहिए। सह–अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्तर पर शिक्षा कार्यक्रम, वन्यजीवों के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए तकनीकी सहायता, और फसल या संपत्ति को होने वाले नुकसान की स्थिति में त्वरित मुआवजा प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। समुदायों को वन्यजीवों के पारिस्थितिकीय महत्व को समझाने और उनके संरक्षण में उनकी भूमिका को मजबूत करने की दिशा में प्रशिक्षित किया जाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सुश्री पायल बनकर इस संदर्भ में कहा कि छत्तीसगढ़ में उनकी संस्था ''प्रदान'' जमीनी संगठनों के सहयोग से वन प्रबंधन योजनाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य वन संसाधनों का सतत और सामुदायिक नेतृत्व में प्रबंधन सुनिश्चित करना है। शिवार फेरी जैसी पहल के माध्यम से सामूहिक चेतना को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे समुदायों के बीच वन पर निर्भरता की समझ और सामंजस्य मजबूत होता है। GPS तकनीक का उपयोग कर पारंपरिक सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण किया जाता है, जिससे संसाधन उपयोग क्षेत्रों की समुचित समझ के साथ इसके प्रबंधन को व्यवस्थित किया जा सके। साथ ही, जागरूकता अभियानों के माध्यम से ग्रामीणों को वन आधारित आजीविका और सतत प्रथाओं के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। साक्ष्य आधारित निगरानी प्रणालियों के माध्यम से वन की स्थिति को ट्रैक किया जाता है, जो संरक्षण और पुर्नस्थापना हेतु प्रभावी दिशा प्रदान करता है। संसाधन और सामाजिक मानचित्रण की प्रक्रिया में स्थानीय संपत्तियों और सामुदायिक आवश्यकताओं की पहचान की जाती है, जिससे लक्षित विकास योजनाओं को लागू करने में सहायता मिलती है।

प्रदान संस्था का मानना है कि जमीनी संगठनों की सक्रिय भागीदारी के बिना, सामुदायिक वन प्रबंधन योजना को सफलतापूर्वक लागू करना संभव नहीं है। इसलिए, ग्राम सभाओं, स्थानीय संस्थानों और पारंपरिक ज्ञान को सशक्त बनाने पर विशेष जोर देते हैं।

श्री विनय गुप्ता द्वारा बताया गया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और वन विकास विभाग के तहत कई योजनाएँ हैं, जिनका लाभ ग्राम सभाओं तक पहुँचाने के लिए समन्वय की आवश्यकता है। यदि हम CFRR के बाद ग्राम सभाओं को समग्र रूप से लाभ प्रदान करने में सफल

होते हैं, तो हम आजीविका संवर्धन के उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस दिशा में सबसे बड़ी चुनौती जागरूकता की कमी है, हालांकि उनके विभाग द्वारा 12 CSOs के साथ मिलकर क्षमता विकास का काम किया जा रहा है और जागरुकता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। MGNREGA योजना के अंतर्गत यदि FRA से संबंधित क्षेत्र में जॉब कार्ड धारको की संख्या को बढ़ाया जाए तो अधिक लाभ ग्राम सभाओं तक पहुँच सकता है। अगर ग्राम सभाएँ बेहतर योजना बनाती हैं, तो इसके तहत 266 योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है। संयुक्त पत्र के माध्यम से विभागीय अभिसरण बेहतर ढंग से किया जा सकता है, जिससे जमीनी स्तर की समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया जा सके।

उन्होंने MGNREGA योजना के तहत 65% कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) पर होना बताया और इसमें विकासात्मक कार्यों में सामुदायिक सहभागिता की संभावना बढ़ सकती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से NRLM (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) से भी लाभ उठाने का अवसर है। CLART ऐप जैसी तकनीकी विधि, जो ग्राम सभाओं द्वारा आसानी से इस्तेमाल की जा सकती हैं के उपयोग से योजनाओं में तकनीकी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

लैंडस्केप एप्रोच के माध्यम से IFR और CFR में NREGA के साथ अधिक अभिसरण के अवसर पहचाने गए हैं, हालांकि इसका पूरा लाभ अभी तक नहीं उठाया जा सका है। वन अधिकार पत्र धारकों और NREGA जॉब कार्ड धारकों के बीच एक अंतर है, जो दर्शाता है कि सभी वन अधिकार पत्र धारक NREGA से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। जनजातीय विकास विभाग के अधिकारियों को अभिसरण के अवसरों के बारे में जागरूकता की कमी है, जिसके कारण वे ग्राम सभाओं को समुचित जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।

--------------------XXX-----------------

तकनीकी सत्र–3

तृतीय तकनीकी सत्र, दावो को दर्ज करने के लिए विभिन्न डिजिटलाईजेशन समाधान, ऑनलाईन प्रक्रियाएं, प्रगति एवं आवश्यकता पर केन्द्रित था। इस सत्र में विभाग द्वारा वन अधिकारों एवं इससे जुड़े विकास कार्यो से संबंधित दस्तावेज एवं प्रक्रियाओं की अद्यतन स्थिति का डिजिटलाईजेशन व ऑनलाईन प्रक्रियाएं जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं को विकास किये जाने वाले प्रयासों को प्रस्तुत किया गया।

विभाग अंतर्गत एफआरए सेल से श्री राजेश कुमार ने विभाग द्वारा संचालित पोर्टल जो दो भिन्न एजेंसियों द्वारा दो अलग–अलग समय और परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में विकसित किया गया, की विशेषताओं और मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होने यह अवगत कराया कि दो पोर्टल https://cgvanadhikar.cgstate.gov.in जो चिप्स द्वारा विकसित है एवं www.hamarvanadhikar.cgstate.gov.in जो यू.एन.डी.पी द्वारा विकसित है, के अलग अलग उद्देश्य है परंतु ये अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। जहां cgvanadhikar को मुख्यतः वन अधिकारों के लिगेसी डाटा के साथ–साथ व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारको के शासकीय योजनाओं के संदर्भ की व्यक्तिगत जानकारियां एवं उससे संबंधित दस्तावेजो को डिजिटाईज करने के उद्देश्य से बनाया गया है, वहीं hamarvanadhikar को वन अधिकारो की मान्यता प्रक्रिया को ऑनलाईन करने व इस पूरी प्रक्रिया की रिर्पोटिंग, मॉनिटरिंग ए वं ट्रैकिंग जैसी विशेषताओं से समाहित करता है। दोनो पोर्टल के डेटा सेट को API लिंक के माध्यम से इंटीग्रेट कर रिर्पोट्स जो दावाकर्ता (ST, OTFD, PVTG, Single women headed household), दावा के प्रकार (IFR, CR, CFR), प्रशासनिक क्षेत्र (जिला, नक्सल प्रभावित जिला, टीएसपी क्षेत्र, माडा पाकेट्स) और अन्य पहलूओ जैसे (अद्यतन स्थिति, भूमि संबंधित जानकारी, निरस्त दावे, सीमांकन, लंबित प्रकरण इत्यादि) के आधार पर तैयार की जा सकती है।

यद्यपि DA–JGUA अभियान अंतर्गत वन अधिकारो के मान्यता को संतृप्त करने एवं बेहतर क्रियान्वयन हेतु वन अधिकार से संबंधित अभिलेखो का संधारण, प्रक्रियाओं का संचालन (प्राप्त दावे, उन पर की गई कार्यवाही, स्वीकृति, वितरण, लंबित या निरस्तीकरण एवं उसका कारण) मासिक प्रगति प्रतिवेदन इत्यादि जैसी सुविधाओं को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से डिजिटलाईज किये जाने पर जोर दिया गया है, लेकिन विभाग इसकी महत्ता को समझते हुए बहुत पहले से ही इस दिशा में स्वतः कार्य प्रारंभ कर इस अभियान के अनेक महत्वपूर्ण पहलूओ पर प्रभावी रुप से कार्य कर रही है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है :–

- Web GIS Portal के माध्यम से राज्य के संभावित सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्रो का चिन्हांकन।
- सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन के कार्य योजनाओ को तैयार करना।
- अभिसरण के माध्यम से दावा पश्च सहायता प्रदान करना।
- पीवीटीजी समुदायों के लिए पर्यावास क्षेत्र आधारित विकास कार्ययोजनाओं को तैयार करना।

cgvanadhikar (Legacy Data Digitalization) Portal

जिलवार व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का डिजिटलाईजेशन

व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारक का डिजिटलाईज्ड सर्टिफिकेट

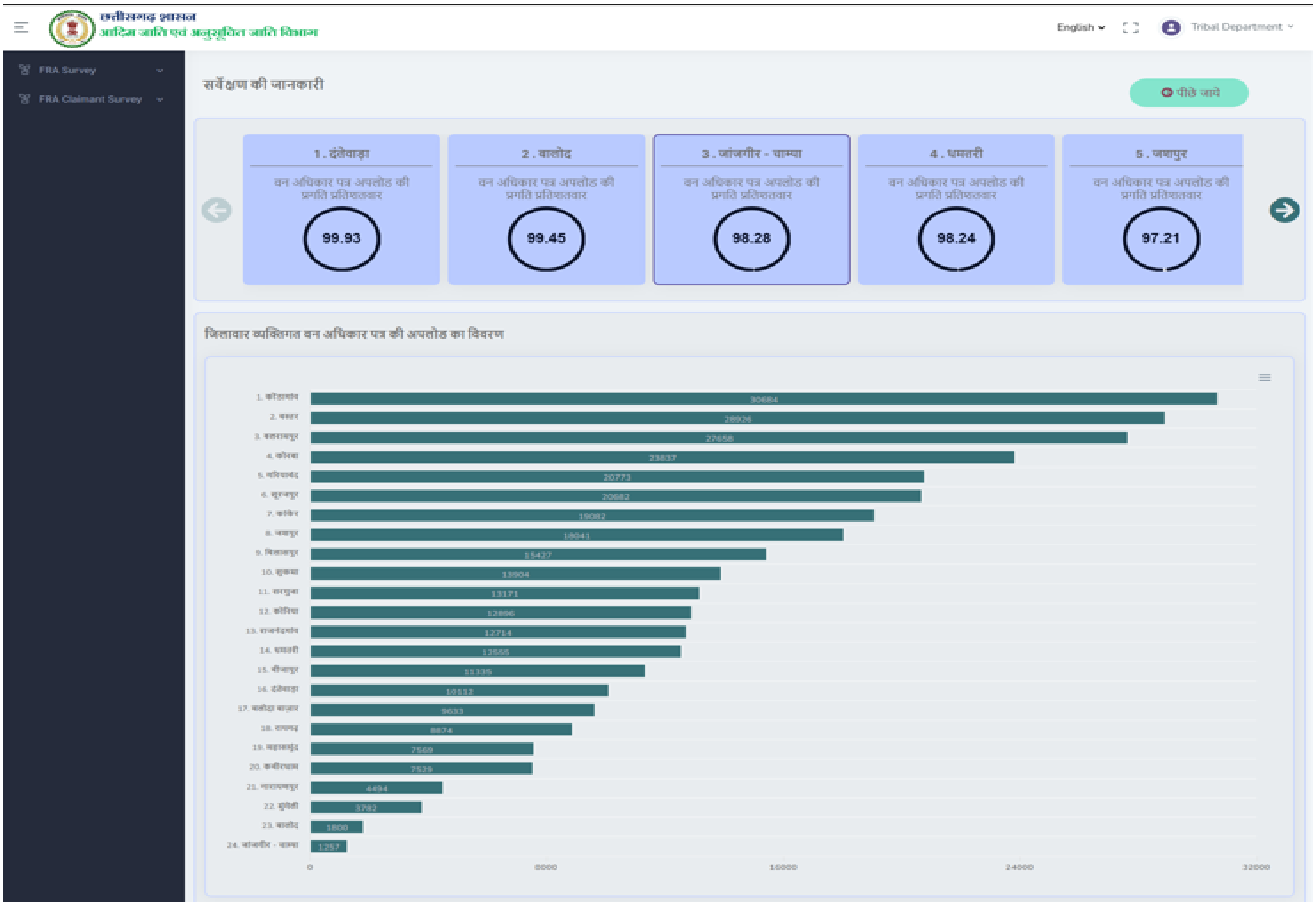

पोर्टल के माध्यम से डिजिटलाईजेशन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग

hamarvanadhikar (FRA Online Claim-filing, Monitoring & Reporting) Portal

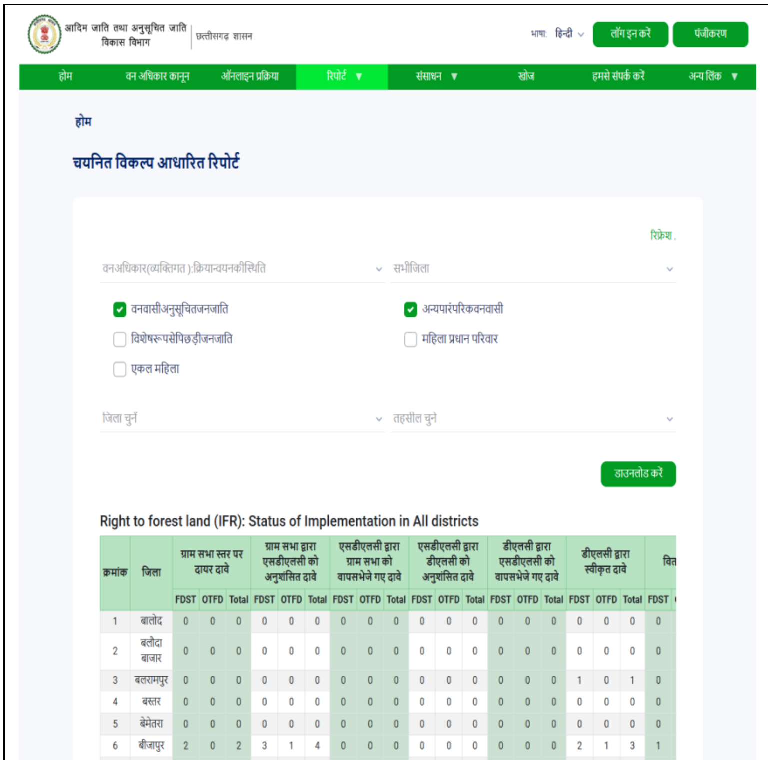

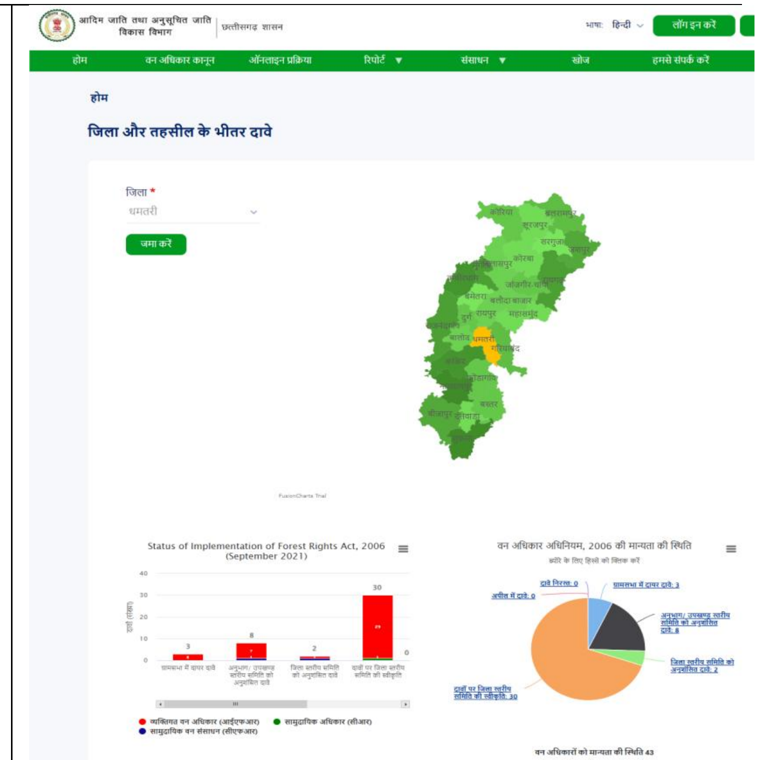

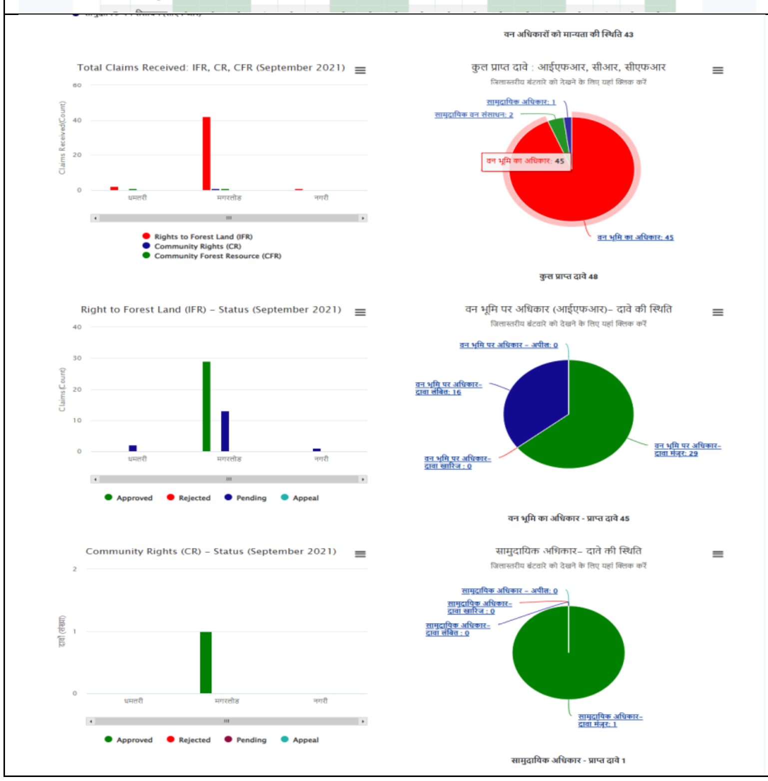

Reporting & Data Analysis of FRA Implementation through hamarvanadhikar Portal

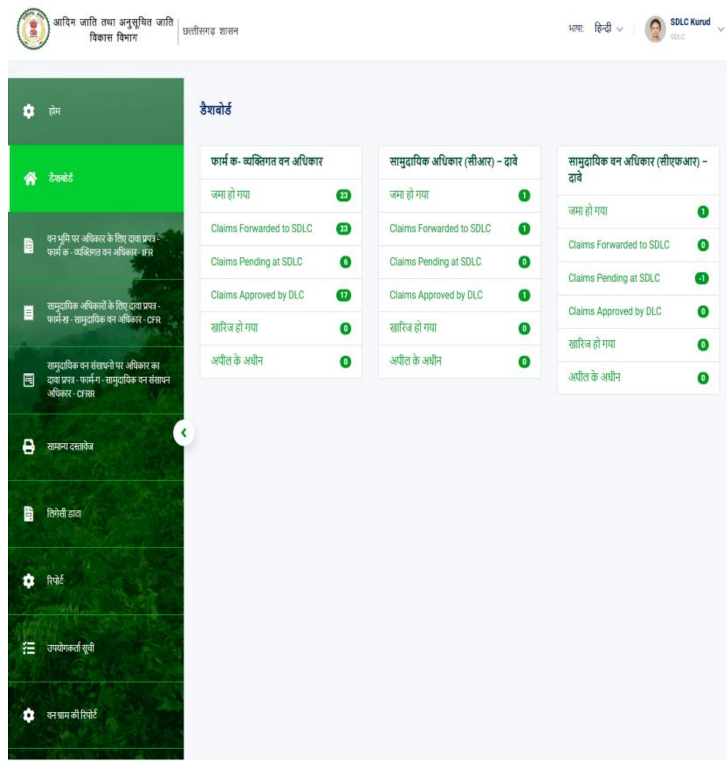

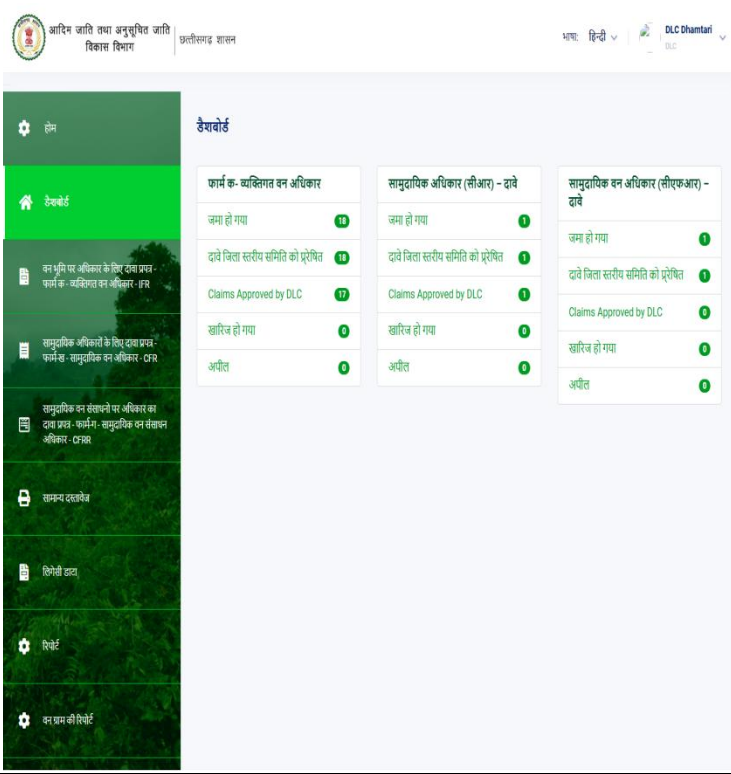

FRA Online Claim-filing Log-in pages of FRA Institutions

- **IFR Claimant**
- **FRC**
- **Gram Sabha**
- **SDLC**
- **DLC**

--------------------XXX------------------

6. चुनौतियाँ, अवसर एवं सुझाव

सभी तकनीकी सत्रो में विषयसंगत की गई चर्चा के आधार पर मैदानी व अन्य स्तर पर आ रही चुनौतियों के साथ DA-JGUA अभियान किस प्रकार से उन चुनौतियों को दूर करने हेतु नए अवसर प्रदान करती है, को सुसंगत तरीके से उजागर किया गया। साथ ही सभी हितधारको की भूमिका एवं जिम्मेदारियों को ईंगित करते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव, जो आदेश, दिशा–निर्देश तथा नीतिगत बदलाव के रुप में लक्षित किये गये को प्रस्तुत किया गया।

DA-JGUA अभियान के परिप्रेक्ष्य में कार्यशाला के विभिन्न सत्रो में रेखांकित चुनौतियों, अवसर व सुझावों को श्रेणीवार संकलित किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

6.1 चुनौतियाँ

- **पर्याप्त/आवश्यक जागरूकता का अभाव** – शासन स्तर पर वन अधिकार अधिनियम का पर्याप्त प्रचार–प्रसार नहीं होने के कारण समुदायों, ग्राम सभाओं तथा संबंधित विभागों के मैदानी स्तर के अधिकारियों में इस अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों व प्रक्रियाओं की सही जानकारी का अभाव है, जिससे दावाकर्ताओं तथा स्थानीय अशासकीय संस्थाओं को सम्बंधित अधिकारियों से वांछित सहयोग प्राप्त नहीं होता और वन अधिकारों के क्रियान्वयन की गति बहुत धीमी होने के साथ–साथ प्रक्रिया में विसंगति पाई जाती है।

- **संबंधित विभागों से अपेक्षित सहयोग की कमी**– वन एवं अन्य सम्बंधित विभागों द्वारा इस विषय पर आवश्यक सहयोग की कमी जैसे वन भूमि से संबंधित जानकारी या दस्तावेज प्राप्त न कर पाना, सही समय पर उचित मार्गदर्शन व तकनीकी सहयोग न मिल पाना इत्यादि से दावाकर्ताओं एवं ग्राम सभाओं को वन अधिकार प्राप्त करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

- **ग्राम सभाओं के अधिकारों की अवमानना** – सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्य कर ग्राम सभाओं को इसके प्रबंधन हेतु कानूनन अधिकृत किया जा रहा है परन्तु धरातल पर संबंधित विभाग ग्राम सभाओं के प्रस्ताव व नियमों के विरुद्ध मान्य किए गए वन क्षेत्र पर अपने अनुसार वन प्रबंधन करते है जैसे – अचानकमार टाईगर रिजर्व (ATR) से 19 ग्रामों का विस्थापन हो रहा है और दूसरे गांव में लकड़ी की कटाई हो रही है, जबकि ये क्षेत्र CFRR के तहत आता है। यह स्थिति वनवासियों और उनके अधिकारों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है।

- **लघु वनोपज के प्रबंधन पर विवाद** – FRA और PESA अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभाओं को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त है, इस अधिकार को उल्लेखित कानून में स्पष्ट किए जाने के बावजूद तेंदू पत्ता अभी भी राष्ट्रीयकृत है, बांस के प्रबंधन पर ग्रामवासियों को रोक है और तेंदू पत्ता एवं अन्य राष्ट्रीयकृत गैर–काष्ठ वन उत्पाद (NTFP) पर सरकारी नियंत्रण बना हुआ है।

- **पूर्व गठित वन प्रबंधन समिति का यथावत अधिकृत होना**– जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन हेतु जारी की गई दिशा–निर्देश अनुसार सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति के गठन पश्चात पूर्व में गठित कोई अन्य समिति जैसे JFMC इत्यादि को विधिवत भंग किया जाकर इसके बैंक खाते में जमा राशि को नव गठित समिति के खाते में हस्तांतरण किया जाना अनिवार्य है। परन्तु आज पर्यंत यह कार्य लंबित है, जिससे ग्राम सभाओं के सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन के व्यापक कार्य योजनाओं को सही रूप प्रदान करने में समस्या आ रही है।

- **स्थानीय स्तरों की विभागीय समन्वय की कमी** – अंतरविभागीय समन्वय की कमी से वन अधिकारों की मान्यता में न केवल बाधा उत्त्पन्न होती है, अपितु विभागों की योजनाओं के अभिसरण में भी समस्या आती है। फलस्वरूप अनेक हितग्राही (व्यक्तिगत और ग्राम सभाएं) अभी तक वन अधिकारों के अनेक लाभों से वंचित है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण MGNREGA के तहत वृक्षारोपण प्रयास विफल होना, पंचायत सचिवों द्वारा ग्राम सभा के प्रस्ताव रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाना, वन विभाग द्वारा निर्धारित MGNREGA कार्य, जो वन क्षेत्रों में होते हैं, बिना जवाबदेही के होते हैं और अक्सर ग्राम सभाओं के लिए लाभकारी नहीं होते इत्यादि।

- **विभागीय योजनाओं के अभिसरण से लाभ प्रदाय करने में विलम्ब** – अभिसरण के माध्यम से मान्यता पत्र धारकों को दावापश्च सहायता प्रदाय किए जाने के संबंध में यह देखा गया है की अभिसरण मुख्यतः MGNREGA और आवासीय योजनाओं का ही हो पाया है। अन्य विभागों के योजनाओं से ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई है। अभिसरण के संदर्भ में मुख्य चुनौतियों को निम्नलिखित बिन्दुओं में इंगित किया गया है :–

  1. नीतियों और प्रक्रियाओं की अस्पष्टता
  2. FRA अंतर्गत अभिसरण के प्रति जागरूकता की कमी
  3. समुदाय और प्रशासन के बीच विश्वास की कमी
  4. पारंपरिक ज्ञान की उपेक्षा
  5. ग्राम सभाओं और स्थानीय संस्थानों की सीमित क्षमताएँ,
  6. वित्तीय और तकनीकी सहायता का अभाव होना

- **जिला स्तर की निगरानी समितियों (DLMC) में सदस्यों का प्रतिनिधित्व** – वन अधिकार संदर्भित इस महत्वपूर्ण समिति में केवल शासकीय सदस्य होने और ग्राम सभाओं और सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व नहीं होने की वजह से जमीनी स्तर की समस्याओं और अनुभवों को समावेशी तरीके से हल किया जाना मुश्किल होता है।

- **डिजिटलाईजेशन एवं ऑनलाईन प्रक्रिया** –

  1. ग्राम सभा स्तर पर डिजिटल साक्षरता का अभाव है, जिससे ऑनलाईन दावा प्रक्रिया में बहुत समस्या आ सकती है।

2. किसी एजेंसी द्वारा इस कार्य को करवाने में भी समस्या आ सकती है। अन्य राज्यों के अनुभवो के आधार पर ऑनलाईन प्रक्रिया के संचालन हेतु तृतीय पक्ष सहयोग विफल पाया गया है।
3. इस संबंध में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि इस प्रक्रिया से ग्राम सभा एवं निचले स्तर के हितग्राहयों को क्या लाभ प्राप्त होगा।

--------------------XXX------------------

6.2 अवसर

वन अधिकार अधिनियम, 2006 वननिवासी एवं वनों पर आश्रित समुदायों को अपनी आजीविका से संबंधित चुनौतियों से सामना करने हेतु सुरक्षा प्रदान करने के साथ वन संसाधनों के सतत उपयोग के लिए जैव–विवधता संरक्षण एवं पारिस्थिकीय संतुलन बनाये रखने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियॉं भी प्रदान करता है, परन्तु इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और हितधारकों को विभिन्न योजनाओं का उचित लाभ प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट योजन एवं समर्पित बजटीय प्रावधान नहीं थे, फलस्वरूप इसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से नहीं हो पाया और कानून के लागू होने के 15 वर्षों के पश्चात भी वन अभिलेखो की मान्यता संतृप्त नहीं हो पाई है।

इस संदर्भ में, केंद्र सरकार द्वारा नव संचालित धरती आबा जनजातीय ग्राम अभियान (DA-JGUA) इस दिशा में एक महतवपूर्ण पहल है, जो 17 मंत्रालयों के सहयोग से भारत सरकार की 25 योजनाओं को वन अधिकार के परिप्रेक्ष्य में सुसंगत तरीके से धरातल पर उतारने के लिए अनेक नये अवसर प्रदान करती है, जो निम्नानुसार है :–

- डिजिटलाईजेशन एवं अन्य ऐसे तकनीक का प्रयोग कर इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को संतृप्ति करने के साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्यो का मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग एवं डाटा आधारित कार्ययोजना बनाना।
- प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार के माध्यम से ग्राम सभाओ, शासकीय अधिकारियो एवं कर्मचारियों का बेहतर क्रियान्वयन हेतु क्षमता विकास।
- जिला स्तरीय एफआरए सेल के माध्यम से मैदानी स्तर पर तकनीकी सहयोग हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना।
- अभिसरण एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के क्रियान्वयन एवं प्रगति में सहयोग प्राप्त होना।
- शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के मध्य बेहतर समन्वय हेतु एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना।
- सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन की कार्ययोजना में तकनीकी सहयोग हेतु अशासकीय संस्था को अधिकारिक तौर पर भागीदार बनाना।

इसके साथ व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारो के संदर्भ में कुछ अन्य विशिष्ट अवसर भी इस अभियान के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगे, जो निम्नलिखित है :–

सामुदायिक वन अधिकार :–

- सामूहिक एवं सहयोगात्मक गतिविधियों को तैयार करने का प्रोत्साहन।
- सामुदायिक सशक्तिकरण, सतत् विकास, वन संरक्षण, आजीविका संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका।

- संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत 29* विकास कार्य संबंधित विषयों को पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं। इन विषयों में से वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत 13** विकास संबंधी कार्यों (जो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी समुदायों के बहुआयामी विकास के सूचक हैं) पर निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभाओं को प्रदान किया गया है। इन विकास संबंधित कार्यों के सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली निष्पादन हेतु पंचायतों को संबंधित ग्राम सभाओं को विशेष सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है।
- ग्राम सभा के सशक्त होने से CFRR की मान्यता पश्चात अतिक्रमण में रोक लगाना।
- पंचायत द्वारा GPDP में वन प्रबंधन के कार्य को शामिल करना एवं वित्त आयोग की राशि का वन प्रबंधन में उपयोग करना।
- वन विभाग की काय र्योजनाओं को ग्राम सभा के माध्यम से संपादित करना, विशेषकर कैम्पा मद को।
- वनधन योजना को सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन से जोड़ा जाना।
- मनरेगा के तहत जल एवं मृदा संरक्षण।
- गौण खनिजो और लघुवनोपजों को उचित बाजार मिलने से आय में वृद्धि होना।

व्यक्तिगत वन अधिकार :–

- अभिसरण के माध्यम से कृषि कार्य (सिंचाई, खाद बीज, कृषि ऋण, आवास इत्यादि) के सहयोग के माध्यम से आजीविका वृद्धि।
- मेढ़ में वृक्षारोपण प्रोत्साहन।
- लघुवनोपज को आजीविका से जोड़ना।
- वनधन केन्द्र को व्यक्तिगत वन अधिकार से जोड़ना।

डिजिटलाईजेशन एवं ऑनलाईन प्रक्रिया :–

- पोर्टल को सार्वजनिक करने से वन अधिकार की क्रियान्वयन प्रक्रिया में संस्थागत स्तरो पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढेगी।
- ऑनलाईन प्रक्रिया शुरु करने से पहले सभी हितधारकों का व्यापक प्रशिक्षण द्वारा क्षमता विकास करना अनिवार्य होगा, जिससे प्रक्रियात्मक त्रुटियां नहीं होगी।

नोटः विषयों की जानकारी निम्नलिखित है :–

* सभी 29 विषय निम्नानुसार है :–	** सभी 13 विषय निम्नानुसार है :–
1. कृषि विस्तार सहित कृषि	1. विद्यालय
2. भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि समेकन और मृदा संरक्षण	2. औषधालय या अस्पताल
3. कृषि विस्तार सहित कृषि	1. विद्यालय
4. भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि समेकन और मृदा संरक्षण	2. औषधालय या अस्पताल
5. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास	3. आंगनबाड़ी
6. पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन	4. उचित मूल्य की दुकान
7. मछली पालन	5. विद्युत और दूरसंचाल लाईनें
8. सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी	6. टंकियां और अन्य लघु जलाशय
9. लघु वनोपज	7. पेयजल की आपूर्ति और जल पाईपलाईनें
10. पेयजल	8. जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं
11. ईंधन और चारा	9. लघु या वर्षा जल संचयन संरचनाएं
12. सड़के, पुलिया, पुल,घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन	10. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत
13. बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण	11. कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
14. गैर पारंपरिक उर्जा स्रोत	12. सड़कें
15. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	13. सामुदायिक केन्द्र
16. प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा	
17. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा	
18. व्यस्क और गैर औपचारिक शिक्षा	
19. पुस्तकालय	
20. सांस्कृतिक गतिविधियां	
21. बाजार और मेले	
22. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल है।	
23. परिवार कल्याण	
24. महिला बाल विकास	
25. विकलांगो और मानसिक रुप से मंद लोगो के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण	
26. कमजोर वर्गो का कल्याण, और विशेष रुप से अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों का	
27. सार्वजनिक वितरण प्रणाली	
28. सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव	
29. लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल है।	
30. खादी, ग्रामीण और कुटीर उद्योग	
31. ग्रामीण आवास	

6.3 सुझाव

- **समुचित प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना** – समुचित प्रचार प्रसार एवं सभी स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशाला तथा संदर्भित साहित्य व IEC दस्तावेजों के माध्यम से वन अधिकार के क्रियान्वयन से सभी स्तर के सम्बंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, हितग्राहियों के साथ–साथ स्थानीय सामाजिक संगठनों को वन अधिकार के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित करने की योजनाबद्ध तरीके से कार्य योजना बना कर सभी हितधारकों को जागरूक करना चाहिए
- **हितग्राहियों और हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करना** – वन अधिकार अधिनियम, 2006 अंतर्गत ग्राम सभाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर वन अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु अधिकार प्रदान करता है और ये ग्राम सभाएं तभी सशक्त बन कर अपने दायित्वों को निभा सकती है। अधिनियम अंतर्गत सम्बंधित विभाग ग्राम सभाओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर इन्हे सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करे। अतः इस दिशा में विभागों को सही दिशा–निर्देश जारी करने की पहल करनी चाहिए, जिससे इनके फैसले और अधिकारों की अवमानना न हो।
- **ग्राम सभाओं के साथ वनवासी समुदायों को भी सशक्त करने की जरुरत** है, ताकि वे भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो कर अपने अधिकारों को प्राप्त कर इससे संबंधित विकास के कार्यो में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके।
- **सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन हेतु आवश्यक पहल** – सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन हेतु स्थानीय स्तर पर कार्यरत सामाजिक संगठनों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए, जो निम्नलिखित है :–

    1. CFR प्रबंधन योजना का स्वामित्व ग्राम सभाओं के पास होना चाहिए, न कि इसे केवल गैर–सरकारी संगठनों या सरकार द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।
    2. संबंधित विभागों द्वारा CFR प्रबंधन समिति को वन प्रबंधन की कार्ययोजना बनाने हेतु जमीनी स्तर पर पूर्ण सहयोग और सक्रिय भागीदारी के साथ मार्गदर्शन व तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
    3. वन विभाग और अन्य सरकारी विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि सतत् वन प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।
    4. जमीनी संगठनों की सक्रिय भागीदारी के बिना, सामुदायिक वन प्रबंधन योजना को सफलतापूर्वक लागू करना संभव नहीं है। इसलिए, ग्राम सभाओं, स्थानीय संस्थानों और पारंपरिक ज्ञान को सशक्त बनाने पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है।
    5. सभी समितियों में महिलाओं को निर्णायक भूमिका दी जानी चाहिए। इसे सफल बनाने के लिए FRA के प्रावधानों और महिलाओं के अधिकारों के प्रति शासन और अशासकीय संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

6. FRA और PESA अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभाओं को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त है। अतः बांस और तेंदू पत्ता जैसे लघु वन उपज, जिस पर ग्राम सभाओं का पूर्णतः नियंत्रण नहीं है। उस पर आवश्यक नियमों एवं कार्यवाही के साथ इन अवरोधकों को दूर करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।
7. सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति के गठन पश्चात पूर्व में गठित समिति/समितियां जैसे JFMC को भंग कर, इसके बैंक खाते में जमा राशि को नव गठित समिति के खाते में बिना विलम्ब किए हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित हो, जिससे ग्राम सभाओं को अपने वन संसाधन क्षेत्रों के व्यापक वन प्रबंधन कार्ययोजना बनाने और क्रियान्वित करने हेतु उपलब्ध धन राशि से सहयोग मिल सके।
8. वन प्रबंधन के लिए ग्राम सभाएँ पहले अपनी पारंपरिक सीमाओं का नक्शा पारंपरिक स्थानों के नामों के आधार पर तैयार कर वन संसाधनो के सभी उपयोगों को दर्शाते हुए इससे संदर्भित नियमों की सूची तैयार करे। इन नियमों का पालन करते हुए वन संसाधन का प्रबंधन करने से न केवल वनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी, बल्कि आजीविका को भी संतुलित रूप से बनाए रखने में मदद मिलेगी और इसके लिए हर ग्राम सभा अंतर्गत एक ग्राम सभा केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए।
9. DA-JGUA अंतर्गत कार्यान्वयन की शुरुआत 100 CFRR शीर्षक वाले गांवों से की जानी चाहिए ताकि अनुभव आधारित रणनीतियां विकसित हो सकें। CSOs के चयन के लिए मानदंड, जैसे CFRR से संबंधित कार्यों में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव, स्थापित किए जाने चाहिए। CFRMP को वन विभाग की कार्य योजनाओं के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत स्पष्ट किया जाना चाहिए।

- **विभागीय योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से दावा–पश्च सहायता में प्रगति लाना** – वर्तमान में यह पाया गया है कि सम्बंधित विभागों के योजनाओं का अभिसरण मुख्यतः MGNREGA और आवासीय योजनाओं के अंतर्गत ही हो पाया है, अन्य विभागों के योजनाओं से ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई है। अतः इस हेतु अन्य विभागों के समन्वय के साथ इसे प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और वन विकास विभाग के तहत कई योजनाएँ हैं, जिनका लाभ ग्राम सभाओं तक पहुँचाने के लिए समन्वय की आवश्यकता है। संयुक्त पत्र के माध्यम से विभागीय अभिसरण सुगमता और सफलतापूर्वक किया जा सकता है।
- MGNREGA योजना के अंतर्गत यदि FRA से संबंधित क्षेत्र में जॉब कार्ड धारकों की संख्या को बढ़ाया जाए, तो अधिक लाभ ग्राम सभाओं तक पहुँच सकता है। अगर ग्राम सभाएँ बेहतर योजना बनाती हैं, तो इसके तहत 266 कार्यों में से सम्बंधित कार्यों का चयन कर लाभ लिया जा सकता है और वन अधिकारों के संदर्भ में यह और तर्कसंगत हो जाता है की इन 266 कार्यों में 65% कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से सम्बंधित होना अनिवार्य है ।

- MGNREGA गतिविधियों को वन उपज संग्रहण के वार्षिक कैलेंडर के साथ जोड़ने से सतत् आर्थिक गतिविधियाँ और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ बढ़ावा मिल सकता है।
- ग्राम सभाएं परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में घोषित की जाती है, तो ये ग्राम सभाएं स्व–सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से भी लाभ उठा सकती है।
- जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) के माध्यम से वन अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु बेहतर निगरानी एवं समन्वय हर जिले में DLMC का गठन प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए ताकि वन अधिकारों के क्रियान्वयन के संख्यात्मक के साथ गुणात्मक प्रगति की सही निगरानी और लक्ष्य प्राप्ति हेतु सार्थक योजनायें तैयार कर इसका क्रियान्वयन किया जा सके। अतः DLMC के गठन में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शासकीय सदस्यों के साथ–साथ CSO और समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए ताकि दोनों के परस्पर तालमेल से वन अधिकारों के संतृप्तिकरण और अभिसरण के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके, इस हेतु स्पष्ट दिशा–निर्देश और गाइडलाइन तैयार किए जाने की आवश्यकता है।
- DLMC को अभिसरण गतिविधियों के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करना चाहिए और DA-JGUA कार्यान्वयन में अधिक स्पष्ट और मजबूत भूमिका दी जानी चाहिए।
- डिजिटल एवं अन्य तकनिकी सहयोग से कार्यों में प्रगति लाना डिजिटल एवं अन्य तकनिकी विधि, जिसे ग्राम सभाओं द्वारा आसानी से इस्तेमाल की जा सके का प्रयोग कर वन अधिकारों के क्रियान्वयन तथा विकास सम्बंधित योजनाओं एवं कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु साक्ष्य आधारित कार्य योजना तैयार करना और वांछित सुधार हेतु नीतिगत निर्णय लेना।
- **डिजिटलाईजेशन एवं ऑनलाईन प्रक्रिया :–**

  1. ऑनलाईन प्रक्रिया में पोर्टल में विभिन्न स्तरो पर दावा पर की गई कार्यवाही की ट्रेकिंग सुविधा हो।
  2. अन्य राज्यो में की गई ऑनलाईन प्रक्रिया के अनुभव के आधार पर प्रक्रिया को दावाकर्ता, वन अधिकार समिति एवं ग्राम सभा से प्रारंभ न कर इसे SDLC से किया जाए, जो डिजिटलाईजेशन कर दावाकर्ता को यूनिक आईडी प्रदान करेंगे। इससे नीचे के स्तर की चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

--------------------XXX-----------------

7. भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां

वन अधिकारों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया बहुत ही सरल एवं सुगम है। यदि सभी संस्थागत स्तर के हितधारको को अधिनियम के प्रावधानो, नियमो एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया की समुचित जानकारी हो तथा सभी संबंधित विभागो के मध्य बेहतर समन्वय एवं तालमेल हो, परंतु नोडल विभाग द्वारा आयोजित कई प्रशिक्षण, कार्यशालाएं एवं अंर्तविभागीय समीक्षा बैठको के पश्चात इन दोनो आवश्यक घटको में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता परिलक्षित होती है। इसके लिए सभी हितधारको के विधिवत निर्धारित भूमिकाएं और जिम्मेदारियों को पूर्ण रुप से पालन किये जाने हेतु हितधारको को इसके प्रति जागरुक व जवाबदेही बनाने की आवश्यकता है।

DA-JGUA अभियान के संदर्भ में सभी हितधारको की भूमिका और जिम्मेदारियां न सिर्फ बड़ी है, अपितु एक दूसरे के समन्वय के साथ कार्य किये जाने पर अधिक जोर दिया गया है। इस कार्यशाला से सभी हितधारको के प्रस्तावित महत्वपूर्ण भूमिकाएं और जिम्मेदारियों को श्रेणीवार श्रृंखलाबद्ध किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

(क) शासकीय संस्था :–

चूंकि इस अधिनियम और उससे संबंधित दिशा–निर्देशो की जानकारी का अभाव विभाग अधीनस्थ कार्यवाहक अधिकारियों/कर्मचारियों में पाई गई है, इसलिए सभी संबंधित विभागो से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी का सही प्रचार–प्रसार हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से जागरुकता अभियान चलाकर मैदानी स्तर तक के अधिकारियों व कर्मचारियो का ज्ञानवर्धन करना आवश्यक है। इसके अलावा संबंधित विभागो अपने विभाग संदर्भित निम्नलिखित भूमिका का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे :–

1. आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग

- DLC व SDLC की बैठके निरंतर निश्चित समय पर किया जाना सुनिश्चित करे, जिससे दावो का निराकरण सही समय पर हो।
- अंर्तविभागीय सहयोग व समन्वय हेतु दिशा–निर्देश जारी करे।
- संबंधित विभागीय योजनाओं के अभिसरण हेतु बेहतर समन्वय स्थापित कर संयुक्त पत्र के माध्यम से वन अधिकार पत्रधारको को सहयोग करना।
- सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन हेतु समितियों के गठन पश्चात कार्ययोजना बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना और बैंक खाता खोलने हेतु दिशा निर्देश जारी करना एवं राशि आबंटन करना।
- DLMC के गठन हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करना।

2. वन विभाग

- अधिकृत CFR क्षेत्र पर ग्राम सभा के अधिकारो की अवमानना न करते हुए सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार करने हेतु गुणवत्ता सह वैज्ञानिक आधार जैसी तकनिकी सहयोग प्रदान कर अपने कार्ययोजना में समाहित करते हुए अभिसरण के माध्यम से राशि प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना।
- CFRR क्षेत्र. अंतर्गत वन, वन्य प्राणी एवं जल स्रोत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उनकी कार्ययोजनाओं को ग्रामसभा/सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों के साथ साझा करना और अपने वन अधिकारो (व्यक्तिगत/सामुदायिक) को मान्य कर वन प्रबंधन योजनाओं में सहयोग करना।
- नोडल विभाग के सहयोग से बांस व तेंदूपत्ता जैसे लघुवनोपज, जो FRA एवं PESA कानून अंतर्गत ग्राम सभा को स्वामित्व प्रदान करता है, पर ग्राम सभा के अधिकारो को स्पष्ट करते हुए इसके प्रबंधन का पूर्ण हक देने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए।
- विधिवत पूर्व गठित समिति (JFMC) को भंग कर इसमें जमा राशि को नवगठित समिति (CFRMC) को यथाशीघ्र हस्तांतरित किये जाने हेतु पहल करना।
- कूप कटाई, आक्रामक प्रजातियों को हटाने और अन्य प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित वन अधिकार अधिनियम के नियम संगत स्पष्ट निर्देश जारी करे, जिससे ग्राम सभा में कोई असमंजस्य की स्थिति न हो।
- शासन द्वारा फौत नामांतरण से संबंधित दिशा निर्देशो के आधार पर हितधारको को प्रशिक्षण प्रदान करना।

3. राजस्व विभाग

- व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारको के अभिलेखों को भूईयां पोर्टल में प्रविष्टि कर पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभान्वित करना।
- मैदानी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी को राजस्व वन संबंधित सभी जानकारियां ग्राम सभा को उपलब्ध कराना।
- वन विभाग के समन्वय से IFR,CFR,CFRR के दावा प्रकरणो के स्थल सत्यापन हेतु अधिकार समितियों को सहयोग करना।
- शासन द्वारा फौत नामांतरण से संबंधित दिशा निर्देशो के आधार पर हितधारको को प्रशिक्षण प्रदान करना।

4. **पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**

- राजस्व वन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां ग्राम सभाओं को उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करे।
- वन विभाग के समन्वय से स्थल सत्यापन, नजरी नक्शा, साक्ष्य संबंधी आवश्यक सहयोग दावाकर्ताओं तथा ग्राम सभाओ को प्रदान करे।
- पंचायत सचिव, जो ग्राम सभा के सचिव होते है, उनको समुदायो एवं ग्राम सभाओं को वन अधिकारों की मान्यता प्रक्रिया में संवेदनशीलता के साथ सहायता प्रदान करते हुए ग्राम स्तर के दावों में सहयोग करना।
- विभिन्न योजनाओं जिनका अभिसरण के माध्यम से वन अधिकार पत्रधारको को लाभान्वित किया जा सकता है की समस्त जानकारी ग्राम सभाओ व अन्य विभागो के साथ साझा करना।
- वन विभाग के समन्वय से MGNERGA गतिविधियों को लघुवनोपज संग्रहण के वार्षिक कलेण्डर के साथ जोड़ना।

(ख) संस्थागत एजेंसिया :–

ये एजेंसिया संस्थागत रुप से ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक वन अधिकारो के क्रियान्वयन हेतु गठित है और इस दिशा में कार्यरत है। इन सभी एजेंसियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्नलिखित है :–

(1) राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति –

- जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देश, सूचना व स्पष्टीकरण को सरल भाषा में जिला स्तरीय समिति को प्रेषित करना व इसके अंतर्गत विगत वर्ष शासन द्वारा वन अधिकार के कई मामलो में अस्पष्टता को स्पष्ट किये जाने हेतु लिखित पत्र में स्वीकृत अधिकार पत्रों में सुधार, अपात्र दावाकर्ता के अधिकार पत्र को निरस्त करना, अधिकार पत्र का दावाकर्ता के साथ ग्राम सभा, SDLC, DLC में भी उपलब्ध न होना, पूर्व में वितरित अधिकार पत्रों में मान्य की गई भूमि के क्षेत्रफल में विसंगति इत्यादि जैसे समस्या का हल मंत्रालय से प्राप्त दिशा निर्देशो को जिलो को प्रेषित करना।
- वन अधिकार के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक कर पर्याप्त नीतिगत निर्णय द्वारा क्रियान्वयन की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाना। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मामलो जैसे JFMC को भंग करना, अभिसरण हेतु संबंधित विभाग के संयुक्त पत्र बांस व तेंदूपत्ता पर ग्राम सभाओं का स्वामित्व अनुसार प्रबंधन का अधिकार DLMC के सदस्यों में समाजसेवी संगठनो एवं ग्राम सभाओ को सदस्य के रुप में समाहित करना इत्यादि पर निर्णय लेना।

(2) जिला स्तरीय समिति –

- DLMC द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश, सूचना व स्पष्टीकरण को निचले स्तर तक जारी करना।
- आवश्यकतानुसार एफआरए सेल (राज्य/जिला) के माध्यम से वन अधिकार के विभिन्न पहलूओं पर प्रशिक्षण प्रदान कर हितधारको का क्षमता विकास करना।
- निरंतर बैठक कर वन अधिकार दावो का निराकरण कर मान्यता प्रक्रिया को संतृप्त करना और दावापश्च सहायता, सीमांकन, हस्तांतरण, वन ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तन करना व अभिलेखो में सुधार इत्यादि पर प्रभावी रुप से कार्य करना।
- क्रियान्वयन प्रक्रिया को DLMC के माध्यम से निरंतर निगरानी कर आवश्यक चुनौतियों का समाधान करना।
- DLCC के माध्यम से अभिसरण के लिए संबंधित विभागो की बीच समन्वय कर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां ग्राम सभाओ और स्थानीय सामाजिक संगठनो के बीच साझा करना।
- डिजिटलाईजेशन और ऑनलाईन प्रक्रिया का प्राथमिकता के साथ क्रियान्वयन किया जाना।
- पीवीटीजी हेबीटेट राईट्स को मान्य कर उनके हेबिटेट क्षेत्र में विकास संबंधी कार्ययोजना तैयार करने में सहयोग करना।

(3) अनुभाग स्तरीय समिति –

- वन अधिकार अधिनियम के संबंध में समुदायो एवं ग्राम सभा के लिए SDLC प्राथमिक प्रशासनिक इकाई है, इसलिए इन्हे वन अधिकार से संबंधित सभी मुददो पर सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करना।
- संबंधित विभागो से आवश्यक जानकारी समुदायो एवं ग्राम सभा को उपलब्ध कराना।
- ग्राम सभा स्तर/क्लस्टर स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान कर हितग्राहियों को जागरुक करना।
- सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन हेतु कार्ययोजना बनाने तथा वन विभाग के कार्ययोजना में जोड़ने हेतु सहयोग प्रदान करना।

(4) ग्राम सभा –

- ग्राम सभा की बैठक हेतु विधिवत नियमो का पालन करना, जिसमें पंचायत सचिव द्वारा बैठक की लिखित सूचना, ग्राम सभा एवं FRC की गणपूर्ति, बैठक का प्रस्ताव का कार्यवाही विवरण लिखना इत्यादि शामिल है।
- नियमित बैठक कर सभी वन अधिकार के दावो को सत्यापित कर अग्रेषित करना।
- सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन कार्ययोजना बनाने तथा क्रियान्वयन करने हेतु संबंधित विभागो व स्थानीय समाजसेवी संगठनो/अशासकीय संगठन से मदद लेना।

(5) एफआरए (FRA) सेल –

➢ राज्य स्तरीय एफआरए सेल –

- वन अधिकार संबंधित विषयो के सभी स्तर पर समुचित प्रचार–प्रसार हेतु प्रशिक्षण एवं आई.ई.सी. के माध्यम से जागरुकता अभियान चलाना।
- भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति के महत्वपूर्ण सूचनाओं/दिशा–निर्देशो/स्पष्टीकरणो को जिला स्तरीय समिति को प्रेषित करना।
- IFR,CFR,CFRR एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन के संबंध में विशिष्ट प्रकरण अनुसार तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- अभिसरण, सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन जैसे कार्यो के लिए संबंधित विभागो से समन्वय स्थापित कर कार्य करना।
- डिजिटलाईजेशन एवं ऑनलाईन प्रक्रिया हेतु तकनीकी एजेंसी से समन्वय स्थापित कर कार्य का बढ़ाना।
- मैदानी स्तर से प्राप्त चुनौतियों का अधिनियम में अस्पष्टता की दशा में स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से पत्राचार करना।

➢ जिला स्तरीय एफआरए सेल –

- वन अधिकार से संबंधित डिजिटलाईजेशन के कार्य और ऑफलाईन कार्य को करना।
- ग्राम सभा को वन अधिकार अधिनियम के प्रति सशक्त करना व SDLC व DLC को दावा प्रकरणों के सत्यापन करने में सहयोग करना।
- ग्राम सभा को संबंधित विभागो से दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद दस्तावेजो को पढ़ने और समझने में सहयोग प्रदान करना।

- जिला एवं अनुभाग स्तरीय सचिवों को वन अधिकार के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन से संबंधित विषयों पर तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- अभिसरण के कार्यो के साथ–साथ लीगेसी डेटा डिजिटलाईजेशन, मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित कार्यो को करना।

(ग) गैर-शासकीय संस्था :–

इस कार्यशाला में वन अधिकारो के क्रियान्वयन के संदर्भ में **'अशासकीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान,'** इस कथन से प्रमाणित होता है कि जहां–जहां संगठन समर्पित होकर ग्राम सभाओ व प्रशासन के साथ मिलकर कार्य कर रहे है, वहां वन अधिकारो के क्रियान्वयन प्रक्रिया में बेहतर परिणाम देखने को मिले है। अतः इन संगठनो की भूमिकाएं विशेषकर DA-JGUA के अंतर्गत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योकि इस अभियान अंतर्गत उन्हे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार करने हेतु ग्राम सभाओं को सहयोग प्रदान करने के लिए अधिकृत किये जाने का प्रावधान है। उनकी भूमिकाओ के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित है :–

- ग्राम सभाओ व संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण के माध्यम से उनका क्षमता विकास करना।
- ग्राम स्तर पर वन अधिकार के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों को दूर करना और न कर पाने की दशा में DLC, नोडल विभाग, संबंधित विभाग को सूचित करना।
- ग्राम सभाओ को सशक्त करना और महिलाओं की भागीदारी न केवल सुनिश्चित करना, बल्कि उन्हे निर्णायक भूमिकाओं के लिए प्रेरित करना।
- सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन के कार्ययोजना तैयार करने में तकनीकी सहयोग प्रदान करना तथा इस हेतु गठित समिति (CFRMC) की चुनौतियों को दूर करने में मदद करना।
- समुदाय एवं ग्राम सभा तथा प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित कर प्रभावी व कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन की प्रक्रिया को संतृप्त करना।

--------------------XXX------------------

8. कार्यशाला के प्रतिभागियों की सूची

शासकीय संस्था

- श्री सोनमणि बोरा, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
- श्री सुनील मिश्रा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
- श्री नवेद शुजाउद्दीन, मुख्य वन संरक्षक
- श्री पदुम सिंह एल्मा, आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
- श्री विनय गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
- श्री संजय गौड़, अपर संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
- श्रीमती मेनका चंद्राकर, उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

* इसके अतिरिक्त 30 जिलों के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं जिला स्तरीय एफआरए सेल के 17 जिला समन्वयक तथा 07 क्षेत्रीय कार्यकर्ता कार्यशाला में उपस्थित रहे।

गैर-शासकीय संस्था

- सुश्री सविता रथ, भूमि बंधु
- श्रीमती ममता कुजूर, जशपुर जनविकास संस्था
- सुश्री पायल बनकर, प्रदान
- श्री तापस दास, WWW
- श्री प्रखर जैन, समाज सेवक
- श्री गंगाराम पैकरा, चौपाल
- श्री मनोज कुमार, प्रदान
- श्री विकेश हियामी, समाज सेवक, वनवासी कल्याण आश्रम
- श्रीमती इंदु नेताम, आदिवासी समता मंच
- सुश्री आकांक्षा चौधरी, समर्थ चैरीटेबल ट्रस्ट
- श्री प्रशांत एस. चिन्नापन्नावार, ट्रांसफार्मिंग रुरल इंडिया फाउंडेशन
- श्री शरदचंद्र लेले, ATREE
- श्री प्रमोद पोटई, साथी समाज सेवी संस्था
- श्री नरसिंग मण्डावी, दिशा समाज सेवी संस्था
- श्री बेनीपुरी गोस्वामी, खोज समिति
- सुश्री सरस्वती ध्रुव, खोज समिति

- सुश्री सुमित्रा उसेन्डी, परिवर्तन समाज सेवी संस्था
- सुश्री तुलसी नेताम, नवोदित समाज सेवी संस्था
- श्री केशव शोरी, दिशा समाज सेवी संस्था
- सुश्री रीना रामटेके, नवनिर्माण चेतना मंच
- श्री सीमांचल अचारे, अचानकमार संघर्ष समिति
- श्री मुराद अली, FES
- श्री अनुभव शोरी, ATREE
- श्री गौतम अरादत, ATREE
- श्री जयदेव मोहरुले, सृष्टि
- श्री राजीम कटवास, सजग समाजसेवी संस्था
- श्री चंद्रकांत यादव, ग्रामोदय ग्राम विकास समिति
- श्री सत्यप्रकाश बनकर, श्रम विकास एवं शोध संस्थान

--------------------xxx------------------

9. मीडिया कवरेज

MY CHHATTISGARH

Prime Day
PAGE-5
Raipur, Tuesday 07 January 2025

Consultative Workshop on the Implementation of the Forest Rights Act Held in Raipur

A Collaborative Effort Under the Dharti Aba - Tribal Village Upliftment Campaign

Raipur (Prime Day) The Tribal Department of the Government of Chhattisgarh, in collaboration with the United Nations Development Program (UNDP), Foundation for Ecological Security (FES), and Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE), successfully organized a consultative workshop on the implementation of the Forest Rights Act (FRA) at the New Circuit House, Raipur. This workshop was part of the recently launched Dharti Aba - Tribal Village Upliftment Campaign (DA-JGUA), inaugurated by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi on October 2, 2024. This initiative aims to promote the holistic development of tribal-majority villages by integrating 25 schemes and interventions from 17 ministries, focusing on education, health, infrastructure, and livelihood development. The Ministry of Tribal Affairs has issued comprehensive guidelines, focusing on several key components, including:

1. **Improvement of Infrastructure :** Emphasis on renovation and improvement of ashrams, hostels, and tribal residential schools.

2. **Establishment of 100 Tribal Multipurpose Marketing Centers :** These centers will support the marketing and trade of tribal products.

3. **Establishment of Centers for Sickle Cell Disease :** Facilities to raise awareness and offer counseling on sickle cell disease in tribal communities.

4. **Effective Implementation of the Forest Rights Act :** Ensuring the proper implementation and facilitation of the Forest Rights Act.

The DA-JGUA mission will be implemented across 6,691 tribal-majority villages in 32 districts of Chhattisgarh.

The workshop brought together over 24 leading Civil Society Organizations (CSOs) working on FRA in Chhattisgarh, along with key representatives from the Revenue, Forest, and Panchayati Raj Departments, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS), Assistant Commissioners of the Tribal Development Departments, and District Project Coordinators of District FRA Cells. The main goal of the workshop was to discuss the guidelines issued by the Ministry for the DA-JGUA mission and ensure effective implementation of the Forest Rights Act.

Key Points of the Workshop

The workshop focused on the following critical areas for the successful implementation of the Forest Rights Act:

1. **Recognition of Forest Rights.** Ensuring that tribal communities are legally recognized as rightful owners of forest resources.

2. **Establishment of FRA Cells (Dharti Aba Units) :** Setting up dedicated units for the effective management and implementation of the Forest Rights Act.

3. **Preparation of Community Forest Resource (CFR) Management Plans :** Developing plans to manage the collective forest resources belonging to tribal communities.

4. Engagement of Technical Support Agencies. Collaborating with technical experts to help develop management plans and ensure sustainable use of forest resources.

5. Convergence of State and Central Government Schemes. Integrating various government programs to benefit both Individual Forest Rights (IFR) beneficiaries and holders of Community Forest Rights (CFR).

6. Empowerment of Gram Sabhas : Involving local communities and Gram Sabhas in decision-making processes to play a key role in managing forest rights.

Addressing the Participants

Sonmoni Borah, Principal Secretary, Tribal, Scheduled Caste, OBC, and Minority Development Department, Chhattisgarh, addressed the workshop participants, emphasizing the importance of the DA-JGUA guidelines. He highlighted the need for better cooperation between different departments and Civil Society Organizations (CSOs) to ensure effective recognition of rights and facilitation of post-claim processes. He also stressed the role of Gram Sabhas in the process and the need for collective efforts to successfully implement the mission.

Role of Key Departments and Civil Society Organizations (CSOs) : During the workshop, heads and representatives of key departments shared their thoughts on their role in supporting rights recognition, facilitating post-claim processes, and integrating various schemes for the upliftment of tribal livelihoods. These departments also focused on the preparation of CFR management plans and the involvement of CSOs in this important task.

Civil Society Organizations (CSOs) discussed the challenges and opportunities in implementing the FRA and provided valuable solutions to support Gram Sabhas and CFR Management Committees at the grassroots level. Their insights emphasized the need for active participation of tribal communities in the development of CFR management plans.

Workshop Outcomes and Recommendations

The workshop concluded positively, fostering collaboration among multiple stakeholders. The following recommendations were made to ensure the successful implementation of the FRA:

1. **Capacity Building for Gram Sabhas and Local Institutions :** There was a consensus on strengthening the capacity of Gram Sabhas and local institutions to manage forest rights effectively.

2. **Convergence of Schemes :** Participants emphasized the need for better convergence of government schemes aimed at promoting livelihoods, infrastructure, and education.

3. **Development of Strong CFR Management Plans :** It was agreed that these plans should align with the aspirations of tribal communities and ensure sustainable management of forest resources.

4. **Sustained Efforts:** Participants stressed the importance of continued efforts to support tribal communities and ensure that the benefits of FRA reach the grassroots level.

Significance of the Workshop

The consultative workshop is considered a significant step in achieving the goals of the Dharti Aba - Tribal Village Upliftment Campaign. It demonstrated the Government of Chhattisgarh's commitment to recognizing forest rights and empowering tribal communities. This initiative ensures the government's dedication to improving the quality of life for tribal communities through targeted interventions in education, health, infrastructure, and livelihood development.

The workshop on the implementation of the Forest Rights Act was successfully conducted, bringing together various stakeholders to discuss strategies for the holistic development of tribal communities. The insights and recommendations gathered from the workshop will play a crucial role in ensuring the recognition of tribal communities' rights and improving their living standards. This workshop represents a critical step toward empowering tribal communities and ensuring they have a strong voice in the management and utilization of forest resources. Through continued efforts, Chhattisgarh is poised to emerge as a leading state in the implementation of the Forest Rights Act, laying the foundation for a more inclusive and sustainable future for its tribal population.

नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा

Bilaspur Main - 08 Jan 2025 - 08bsp5
epaper.navabharat.news

वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में छग अग्रणी : बोरा

कायशाला में वन अधिकारों की मान्यता, प्रबंधन एवं संरक्षण व अभिसरण से आजीविका संवर्धन पर हुई परिचर्चा

रायपुर। धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के वन अधिकार अधिनियम 2006 के बेहतर क्रियान्वयन विषय पर राजधानी रायपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य वन अधिकार अधिनियम 2006 के बेहतर क्रियान्वयन में देश में एक अग्रणी राज्य है।

उन्होंने कहा, आज की कायर्शाला एक शुरुआत है इस कायर्शाला के माध्यम से वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में मैदानी स्तर पर आ रही परेशानियों को दूर करने में मदद मिलेगी। वन अधिकार अधिनियम एवं पेसा एक्ट के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक टॉस्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से एक्ट के प्रावधानों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। श्री बोरा ने कहा कि राज्य में अब तक 4 लाख 79 हजार 502 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र तथा 4377 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। इसके अलावा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य ग्राम सभाओं में सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन हेतु सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति के गठन की कायर्वाही की जा रही है। अब तक 2081 सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों का गठन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प में वन अधिकार अधिनियम का उचित क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण चरण होगा। कार्यशाला को संबोधित करते हुए आदिम जाति विभाग के आयुक्त पी.एस.एल्मा द्वारा वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु राजस्व, वन, आदिम जाति तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए समस्याओं को दूर करने पर बल दिया। चौपाल संस्था के श्री गंगाराम पैकरा ने सामुदायिक वन संसाधन के दावों में त्रुटियों को दूर करने और एफआरए क्षेत्र में अनुभवी एनजीओ को मान्य करने का सुझाव दिया। एटीआरईई संस्था से शरद लेले ने कहा कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देने में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य बन गया है। परन्तु केवल सीएफआरआर दावें देना ही काफी नहीं है, अब हमें इसके आगे के चरण पर कर्य करने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान अंतर्गत 17 मंत्रालयों के सहयोग से भारत सरकार की 25 योजनाओं को सुसंगत तरीके से धरातल पर उतारना है जिसमें वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन अंतर्गत मुख्य रूप से निश्चित समयावधि में वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है।

आश्रम-छात्रावासों में स्वच्छ परिसर स्वच्छ जीवन अभियान चलाएं

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री बोरा ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आश्रम-छात्रावासों में साफ-सफाई के लिए स्वच्छ परिसर-स्वच्छ जीवन अभियान चलाया जाए। श्री बोरा ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियद नेल्लानार, पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा कर करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के तहत पात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे इसका भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। समीक्षा बैठक में आयुक्त पी.एस.एल्मा, अपर संचालक संजय गौड़ सहित सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। श्री बोरा ने कहा कि छात्रावास आश्रमों में प्राप्त सामग्री के उपयोग से पूर्व निर्माण एवं क्रय समिति से अनुमोदन के साथ ही सामग्री का भौतिक सत्यापन भी कराया जाए। उन्होंने सहायक आयुक्तों को अनुदान प्राप्त शासकीय संस्थाओं की हर चार माह में बैठक लेने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने छात्रावास-आश्रमों की साफ-सफाई के संबंध में स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ रसोई घर, बच्चों की क्लासरूम एवं शयन कक्ष में साफ सफाई, परिसर में साफ सफाई, किचन गार्डन एवं परिसर में डी.डी.टी. का छिड़काव इत्यादि व्यवस्थाएं किया जाना है। इसके अलावा बच्चों को टीकाकरण, सिकलसेल जांच, मलेरिया जांच, एनीमिया जांच एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए।

Tribal dept hosts workshop on implementation of FRA

TIMES NEWS NETWORK

Raipur: Chhattisgarh Tribal Department in collaboration with the United Nations Development Program (UNDP), Foundation for Ecological Security (FES), and Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE), organized a consultative workshop on the implementation of the Forest Rights Act (FRA) in Raipur on Tuesday. The workshop was part of the recently launched Dharti Aba-Janajatiya Gram Utkarsh Abhiyan (DA-JGUA), inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi on Oct 2, 2024.

The mission aims to foster the holistic development of Scheduled Tribe-dominated villages by converging 25 schemes and interventions from 17 ministries, focusing on education, health, infrastructure, and livelihood development. The Ministry of Tribal Affairs has issued guidelines emphasizing key components, on improving infrastructure in ashrams, hostels, and tribal residential schools, establishing 100 tribal multipurpose marketing centers, setting up centers of competence and providing counseling and awareness on sickle cell disease, facilitating effective Forest Rights Act (FRA) management.

Principal secretary tribal & minority development department, Sonmani Borah addresses participants at workshop in Raipur

The mission will be implemented in 6691 tribal dominated villages of 32 districts of Chhattisgarh.

The primary focus of the workshop was to discuss the Ministry's guidelines on DA-JGUA for the effective implementation of the FRA, like recognition of forest rights, preparation of community Forest Resource (CFR) management plans CFR Management Committees etc.

Principal Secretary tribal, Scheduled Caste, OBC, and Minority Development Department Sonmani Borah addressed the participants, emphasizing the importance of collective action, the He called for enhanced cooperation among departments and CSOs to empower Gram Sabhas, ensuring Chhattisgarh emerges as a pioneer in DA-JGUA implementation.

Chhattisgarh is among the leading states in the implementation of the Forest Rights Act, 2006. Till date, 479,502 individual forest rights titles and 4,377 community forest resource (CFR) rights titles have been distributed across the state.

The workshop brought together over 24 leading CSOs working on FRA in state, along with representatives from revenue, forest, and panchayati raj departments, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS).

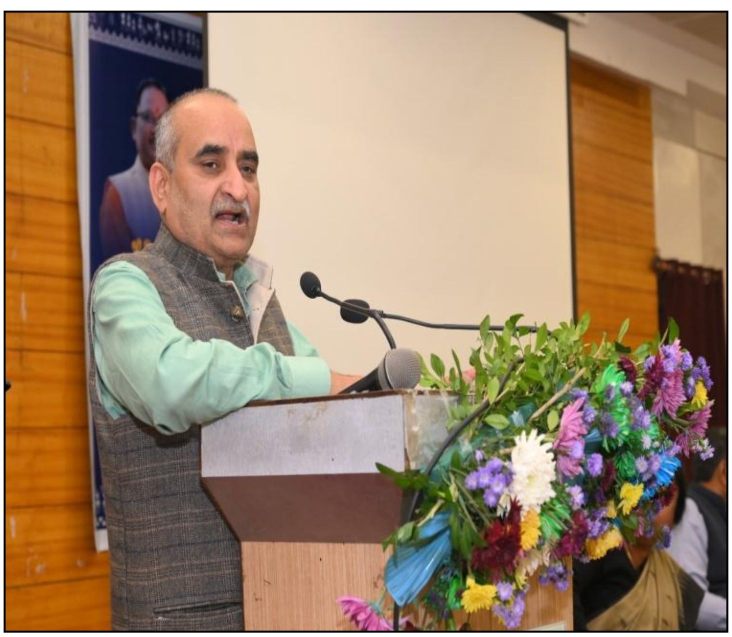

Consultative workshop on Forest Rights Act organised

Principal Secretary of Tribal Development Department Sonmoni Borah and other dignitaries present during the workshop.

Staff Reporter
RAIPUR, Jan 7

A CONSULTATIVE workshop on the implementation of the Forest Rights Act (FRA) was organised by the Tribal Department of Chhattisgarh in collaboration with the United Nations Development Program (UNDP), Foundation for Ecological Security (FES), and Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE) at the New Circuit House, Raipur. The workshop was part of the Dharti Aba - Janajatiya Gram Utkarsh Abhiyan (DA-JGUA), inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on October 2, 2024.

The DA-JGUA initiative focuses on the holistic development of Scheduled Tribe-dominated villages through the convergence of 25 schemes from 17 ministries, emphasising education, health, infrastructure, and livelihood development. Key components include improving tribal school infrastructure, establishing tribal marketing centers, addressing sickle cell disease, and managing forest rights effectively. The mission targets 6,691 tribal villages across 32 districts of Chhattisgarh.

The workshop was attended by over 24 Civil Society Organisations (CSOs), along with officials from the Revenue, Forest, Panchayati Raj Departments, CHiPS, and District FRA Cells. The discussions centered on implementing FRA guidelines under DA-JGUA, particularly the recognition of forest rights, establishment of FRA Cells (Dharti Aba Units), preparation of Community Forest Resource (CFR) management plans, and convergence of state and central schemes to benefit Individual Forest Right (IFR) beneficiaries and CFR holders.

Principal Secretary of the Tribal Development Department, Sonmoni Borah, spoke about the mission's objectives, stressing the timely recognition of forest rights and the integration of schemes to promote sustainable livelihoods and ecological balance. He called for collective action from government departments, CSOs, and Gram Sabhas to strengthen Chhattisgarh's leadership in DA-JGUA implementation.

Chhattisgarh has emerged as a frontrunner in FRA implementation, having distributed 4,79,502 individual forest rights titles and 4,377 community forest resource rights titles. Community Forest Resource Management Committees (CFRMCs) have been established in 2,081 Gram Sabhas to enhance forest management practices.

CSOs and government officials shared insights, addressing challenges and opportunities in FRA implementation. Discussions included actionable solutions for empowering Gram Sabhas, facilitating rights recognition, and preparing comprehensive CFR management plans with technical support agencies.

The workshop emphasised building the capacity of Gram Sabhas, ensuring scheme convergence for livelihood enhancement, and developing sustainable CFR management plans aligned with tribal aspirations. The event has set a roadmap for collaborative efforts to empower tribal communities and reaffirming the government's commitment to their holistic development.

प्रकाशनकर्ता :

कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर (वर्ष 2025)